

राजीव मांचंदा और अन्य बनाम हरियाणा उर्बन

1

विकास प्राधिकरण और एक और (एस. जे. वजीफदार, सी. जे.)

एस. जे. वजीफदार से पहले, सी. जे. हरिंदर सिंह सिद्धू और अवनीश झिंगन, जे. जे.

राजीव मंचंद और अन्य—याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और

एक और—प्रतिवादी

2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 22252

22 नवंबर, 2017

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 141 और 226—हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013—बल का प्रयोग करके याचिकाकर्ताओं ने भूखंडों/स्थलों के आवंटन के लिए विस्थापितों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाली नीतियों को चुनौती दी—विशेष रूप से विस्थापितों के लिए आरक्षण की सीमाधसीमा और आवंटन की कीमत—याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि भले ही वे निर्वासित कोटे के तहत आवंटन के लिए आवेदन करने में विफल रहे हों, उनके अधिकार समाप्त नहीं हुए हैं, इसके अलावा, अधिकारी पहले निर्वासितों के दावे को पूरा करने के लिए बाध्य हैं और फिर दूसरों को आवंटन करते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि संदीप के मामले में दिया गया फैसला देखभाल की कमी से था, और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया था, इसलिए, उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि संदीप के मामले में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को बरकरार रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं

किया जा सकता है क्योंकि वह कानून के सभी तथ्यों और प्रस्तावों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता है—विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर ध्यान दिया और इसे बरकरार रखा—इसलिए, संदीप के मामले में दिए गए खण्ड पीठ के फैसले से बंधी उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ—कोई भी अन्य व्याख्या न्यायिक अनुशासनहीनता के बराबर होगी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि श्री बाली, श्री पुंची, श्री नरेंद्र सिंह, श्री संदीप शर्मा और श्री संजय वशिष्ठ, याचिकाकर्ताओं की ओर से 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 22252,2017 की 2747,2017 की 5927,2016 की 22018 और 2016 की 24361 सहित याचिकाओं के एक समूह में उपस्थित अधिवक्ताओं ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि इस आदेश में कोई अनुपात नहीं है और यह एक मिसाल के रूप में काम नहीं करता है। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह निर्धारित करने के लिए इस आदेश का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है कि क्या 2 में निर्णय दिया गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2018(1)

सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले की पुष्टि की या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वेद पाल के मामले में इस अदालत के आदेश और फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए इस पर विचार किया। वेद पाल के मामले में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील का निपटारा एक आदेश और दिनांक 12.03.2014 के फैसले द्वारा किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया:—

“5. उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिकाओं का निपटारा किया था और आगे अपीलकर्ता-विकास प्राधिकरण को भूखंडों के आवंटन के लिए आम जनता को भूमि देने से पहले एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

6. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार जारी किए गए निर्देशों से व्यथित/पीड़ित विकास प्राधिकरण इन अपीलों में हमारे समक्ष है।

7. हमने श्री नीरज कुमार जैन को सुना है, जो विकास प्राधिकरण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उत्तरदाताओं भूमि हारने वालों के लिए विद्वान अधिवक्ता हैं। हमने

अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

8. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य अन्य संदीप और अन्य के मामले में उसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विपरीत है। (2011 का एल. पी. ए. सं. 2096) और संबंधित मामले, दिनांक 25.04.2012 विकास द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए इस न्यायालय द्वारा किस निर्णय को मंजूरी दी गई है।

2012 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 23933 में उक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ प्राधिकरण और दिनांक 06.03.2014 के आदेश द्वारा अन्य संबंधित मामले।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलों का निपटारा करते हैं और अब अपीलकर्ता-विकास प्राधिकरण को निर्देश देते हैं कि वे भूमि खोने वालों के लिए एक आवंटन योजना जारी करें, जिनकी भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 55 और 56, गुड़गांव के रूप में आवासीय क्षेत्र की स्थापना और विकास के लिए अधिग्रहित की गई है, इस न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर और जितना शीघ्र अति शीघ्र हो योजना को जारी करते समय विकास प्राधिकरण संदीप के मामले (ऊपर) में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखेगा, जैसा कि हमने पुष्टि की है।

राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा उर्बन

3

विकास प्राधिकरण और एक और (एस. जे. वजीफदार, सी. जे.)

10. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अपीलों का निपटारा किया जाता है।”

(जोर दिया गया)

(पैरा 17)

आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय के इन दोनों आदेशों और निर्णयों को एक साथ पढ़ने पर यह स्थापित होता है कि उच्चतम न्यायालय ने संदीप के मामले में निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन वेद पाल के मामले में निर्णय को कम से कम जहां तक यह संदीप

के मामले के विपरीत है, बरकरार नहीं रखा। यह विशेष रूप से वेद पाल के मामले में फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करने वाले फैसले से स्पष्ट है। (पैरा 18)

श्री बाली ने कहा कि संदीप के मामले और वेद पाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश और निर्णय पूर्व निर्णय नहीं हैं, इनमें कोई अनुपात नहीं है और इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय के ये आदेश अंतर्विरोध हैं और बृज मोहन बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (2011) 2 एस. सी. सी. 29, और मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत हैं।

इसलिए, इस न्यायालय द्वारा, हरियाणा राज्य द्वारा और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भी इसकी उपेक्षा की जाए। (पैरा 19)

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री बाली और श्री पुंछी का यह तर्क कि उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनुपात में नहीं हैं और इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए, पूरी तरह से स्थापित नहीं है। फैसलों को जब एक साथ पढ़ा जाता है और विशेष रूप से वेद पाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एक से अधिक कारणों से यह स्थापित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संदीप के मामले में इस न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और इस अदालत द्वारा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

(ए) पैराग्राफ-7 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: "हमने अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क को बनाए रखने के लिए, हमें इस अवलोकन को इस निष्कर्ष के साथ नजरअंदाज करना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में रिकॉर्ड पर दस्तावेजों और इस न्यायालय के फैसले और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन नहीं किया था। हम लेकिन स्वाभाविक रूप से न तो ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं और न ही ऐसा करने के हकदार हैं।

(बी) पैराग्राफ-8 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेद पाल के मामले में खण्ड पीठ का फैसला संदीप के मामले में पारित फैसले और आदेश के विपरीत है। ऐसा कहने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने

और आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दी। कहा कि 4 में निर्णय संदीप के मामले को मंजूरी दे दी थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं वेद पाल के मामले में निर्णय दिया कि उसने संदीप के मामले में निर्णय को मंजूरी दे दी है। हम इस अवलोकन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं या इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं जैसा कि हमें आमंत्रित किया गया था। अगर हम इस निवेदन को प्रतिग्रहण करना करते हैं तो यह हमारे कहने के बराबर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले में फैसले को मंजूरी नहीं दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो कहा था, उसके बिल्कुल विपरीत है, अर्थात् उसने संदीप के मामले में फैसले को मंजूरी दी थी।

(ग) वेद पाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ-9 के अंतिम वाक्य से संदेह, यदि कोई हो, शांत हो जाता है: "योजना को जारी करते समय, विकास प्राधिकरण संदीप के मामले (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखेगा, जैसा कि हमने पुष्टि की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि उसने संदीप के मामले में फैसले की पुष्टि की है। इससे अधिक स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता।

(डी) इसके अलावा, अधिकारियों को संदीप के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना को जारी करने का निर्देश दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले में फैसले की पुष्टि नहीं की होती, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक प्रतिवादी को संदीप के मामले में जारी निर्देशों के अनुसार योजना को जारी करने का निर्देश देने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर हम संदीप के मामले में अनुपात की फिर से जांच करते हैं और एक विपरीत दृष्टिकोण पर आते हैं और तदनुसार अधिकारियों को निर्देश जारी करते हैं, तो वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत होंगे। यह याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के खिलाफ एक स्पष्ट जवाब है कि हम संदीप के मामले के विपरीत दृष्टिकोण रखने के हकदार हैं।

(ई) इसके बाद भी उच्चतम न्यायालय ने संदीप के मामले में अपने फैसले का लगातार पालन किया। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं के एक समूह में एक आदेश और निर्णय दिनांक 14.01.2015 द्वारा, जिनमें से पहला हरियाणा शहरी के मामले में 2011 का SLP No-26147 था।

विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम कृष्ण, के रूप में अभिनिर्धारित

निम्नलिखित है:-

“वर्तमान विशेष अनुमति याचिका चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा की एक खंड पीठ द्वारा 2011 के एल. पी. ए. संख्या 897, दिनांक 20.05.2011 में पारित आदेशों के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत और जिसके तहत खण्ड पीठ राजीव मांचंदा और अन्य बनाम हरियाणा सरकार को अस्वीकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता, अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में “हुडा”) को कुछ निर्देश जारी करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना।

विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ हुडा को पूर्व की नीति के अनुसार भूखंड के आवंटन के लिए प्रतिवादी के दावे पर विचार करने के निर्देश को बरकरार रखा।

इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए मुद्दे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले के दायरे में आते हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने बरकरार रखा है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, हमें मामले के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष अनुमति याचिका का निपटान बहुत कम आधार पर किया जा सकता है जो दोनों पक्षों के हितों को संतुष्ट करेगा।

तदनुसार, हम इस विशेष अनुमति याचिका को इस निर्देश के साथ निपटाते हैं कि यदि प्रतिवादी का आवेदन निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए विचार के लिए लंबित है, तो उस पर हुडा द्वारा कानून के अनुसार और हरियाणा के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के आलोक में विचार किया जाएगा। शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य बनामसंदीप और ओआरएस।,

2011 का एल. पी. ए. सं. 2096 आदि, दिनांक 25.04.2012, इस न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर।”

(जोर दिया गया)।

(पैरा 20)

इसलिए संदीप केस के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले की शुद्धता पर विचार करने का सवाल नहीं उठ सकता है। यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और

अन्य बनाम कृष्णा जहां उच्चतम न्यायालय में अपने आदेश और दिनांक 14.01.2015 के फैसले में उच्चतम न्यायालय के समान निर्देशों के विपरीत भी होगा। एक विशिष्ट निर्देश जारी किया कि आवंटन के लिए प्रतिवादी के आवेदन पर हुडा द्वारा कानून के अनुसार और संदीप के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के आलोक में विचार किया जाएगा। (पैरा 21)

आगे कहा कि संदीप के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। हमारे लिए संदीप के मामले में इस अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए खुला है। हम संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले से बंधे हैं। संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले को अधिक सुनाने के परिणामस्वरूप संदीप के मामले और वेद पाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और फैसलों का सीधा उल्लंघन और उल्लंघन होगा। यह न्यायिक अनुशासनहीनता होगी। (पैरा 22)

आगे कहा कि वेद पाल के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-7 में कहा कि “हमने अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।” इस प्रकार निर्णय में संबंधित नीतियों, निर्णयों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। तब हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था, वे वास्तव में लापरवाही कर रहे थे और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों से अनजान थे। न ही यह हमारे लिए खुला है कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस आधार पर नजरअंदाज करें कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मौन हैं या कानून के मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं समझे गए थे या उसके दिमाग में नहीं थे। हमारे लिए यह कहना बहुत कम खुला है कि निर्णय बिना किसी दिमाग के या बिना किसी कारण के थे। इसलिए यह फैसला याचिकाकर्ताओं के लिए कोई मददगार नहीं है। (पैरा 25)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य, 2005 (4) एससीसी 404 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय में आने वाले किसी शब्द, खंड या वाक्य को, जो

उसके संदर्भ से अलग किया गया है, किसी प्रश्न पर कानून की पूरी व्याख्या के रूप में मानना उचित नहीं है, जबकि उस निर्णय में प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया गया था। हालाँकि, संदीप के मामले में, प्रश्नों पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया और किसी भी मामले में गहराई से विचार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने इस पर विचार किया है और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। इस न्यायालय द्वारा उस कथन का परीक्षण करने का कोई सवाल ही नहीं है जो हमें करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(पैरा 26)

आगे कहा कि यह सुझाव दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि वे स्वयं सभी तथ्यों और कानून के प्रस्तावों को निर्धारित नहीं करते हैं। यह तरीका पूरी तरह से गलत है। विशेष रूप से वेद पाल के मामले और संदीप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के फैसलों, रिकॉर्ड और प्रावधानों पर विचार किया था। संदीप के मामले में फैसले की पुष्टि करने से पहले। यह हमारे लिए खुला नहीं है कि हम इस फैसले को केवल इसलिए नजरअंदाज करें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं तथ्यों को निर्धारित नहीं किया है। यह न्यायिक अनुशासनहीनता का कार्य होगा।

(पैरा 30)

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अधिकारी विस्थापितों के लिए 50 प्रतिशत भूखंडों/स्थलों को आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण की सटीक सीमा अधिकारियों पर छोड़ दी गई है।

माना कि प्रश्न किसी भी कठिनाई को स्वीकार नहीं करता है। एक बार जब यह माना जाता है कि उत्तरदाता विस्थापित कोटा सहित अधिकतम 50 प्रतिशत भूखंडों तक ही आरक्षण के हकदार हैं, तो आरक्षण की सीमा नीति का विषय है जिसे कम से कम पहली बार में प्रतिवादी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी को इस संबंध में नीति निर्धारित करने का अधिकार है। आरक्षण की सीमा तय करना न्यायालय का काम नहीं है। जब तक आरक्षण एक तर्कसंगत मानदंड पर निर्धारित किया जाता है, तब तक न्यायालय को नीति निर्माता के लिए अपने विचार को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

(पैरा 44)

आगे कहा कि हुडा के प्रशासक ने विस्थापितों के लिए आरक्षण की सीमा को उचित ठहराते हुए एक शपथ पत्र दायर किया है। शपथ पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया है: विभिन्न आकार के भूखंडों में पहले से ही 27 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक आरक्षण है। अनिवासी भारतीयों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, समाज सेवा, न्यायपालिका खेल, रक्षा और हरियाणा के अधिवास के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए एक निश्चित संख्या में भूखंड प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, आरक्षण की सीमा में संशोधन की आवश्यकता थी। संदीप के मामले में फैसले के बाद, भूखंडों को निर्वासित के कोटे के तहत भी आरक्षित कर दिया गया था। प्रतिस्पर्धी मांगों पर विचार करने के बाद, हुडा ने 8 मरला भूखंडों में से 10 प्रतिशत और 8 मरला से ऊपर के भूखंडों में से 12 प्रतिशत विस्थापितों के लिए आरक्षित कर दिया है। हुडा द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर विस्तृत विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। हम यह कहने में असमर्थ हैं कि निर्णय एक सूचित निर्णय नहीं था। यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह आरक्षण की सीमा में हस्तक्षेप करे जब तक कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आरक्षण की सीमा वैध मानदंडों पर आधारित नहीं थी। (पैरा 45)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यह निवेदन कि आरक्षण की सीमा किसी भी तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं है, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। (पैरा 46)

उन्होंने आगे कहा कि फैसला सुनाने के समय एक और पहलू उठाने की मांग की गई थी। विस्थापित लोग विभिन्न आकार के भूखंडों के हकदार हैं। शिकायत यह है कि प्रतिवादी शायद ही कभी छोटे आकार के भूखंडों के संबंध में निर्वासित कोटे के तहत आरक्षण करते हैं। निर्वासित कोटे के तहत आरक्षित किए जाने वाले दिए गए आकार के भूखंडों की संख्या नीति का विषय है जिसे प्रतिवादी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विभिन्न कारक हैं जिन्हें प्रतिवादी को इस अभ्यास को करते समय ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, वितरण उचित और तर्कसंगत मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। जब तक वितरण मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तब तक न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (पैरा 47)

न्यायालय ने आगे कहा कि आबंटन का मूल्य आबंटन के समय प्रचलित बाजार मूल्य होगा—फिर भी, यदि आबंटन में देरी पूरी तरह से अधिकारियों के लिए जिम्मेदार है, तो मूल्य उस समय से निर्धारित किया जाएगा जिस पर आबंटन किया जाना चाहिए था, जिसमें एक निर्वासित द्वारा उचित ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

आगे कहा कि इस प्रश्न के एक अन्य पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह एक निर्वासित द्वारा देय मूल्य से संबंधित है जो हालांकि एक विशेष तिथि पर एक भूखंड आवंटित करने का हकदार था और उस तारीख को एक भूखंड आवंटित किया जा सकता था, लेकिन उसे बहुत बाद में भूखंड आवंटित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें बेदखल व्यक्ति को उस तारीख को भूखंड आवंटित नहीं किया गया था जिसका वह हकदार था और उसे वह आवंटित किया जा सकता था, लेकिन बाद में उसे भूखंड आवंटित किया गया था। हमने सलाह दी है कि ऐसी स्थिति हो जहां आवंटित व्यक्ति न केवल भूखंड आवंटित करने का हकदार था, बल्कि उसे भूखंड आवंटित भी किया जा सकता था। जहां किसी भी कारण से भूखंड आवंटित नहीं किया जा सकता था, यह सवाल नहीं उठता। (पैरा 79)

आगे अभिनिर्धारित किया कि जहां अपदस्थ व्यक्ति की गलती है या वह किसी कारण से इसके लिए जिम्मेदार है, उसे संदीप के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैरा-53 के अंतिम वाक्य में निर्धारित मूल्य का भुगतान करना होगा, अर्थात् आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में प्रचलित मूल्य और जिसके अनुसार अपदस्थ व्यक्ति को वास्तव में भूखंड आवंटित किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में बहिष्कृत व्यक्ति को उस कीमत का लाभ मिलने का कोई कारण नहीं है जो पहले प्रचलित थी, कभी-कभी कई साल पहले भी।

(पैरा 80)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां निष्कासनकर्ता और प्रतिवादी दोनों की गलती है या वे उसी के लिए जिम्मेदार हैं या जहां दोनों में से कोई भी उसी के लिए दोषी नहीं है, वही नियम लागू होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में भी बेदखल व्यक्ति को उस मूल्य का लाभ देने की अनुमति देने के लिए कोई वारंट नहीं है जो कई साल पहले प्रचलित था। संदीप के मामले के पैराग्राफ-53 के अंतिम वाक्य में ऐसे मामलों को नियम से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है। (पैरा 81)

आगे कहा कि फिर भी एक और स्थिति है जिससे निपटा जाना चाहिए, अर्थात्, जहां प्रतिवादी पूरी तरह से दोषी हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेदखल व्यक्ति एक विशेष तिथि पर भूखंड का हकदार था और प्रतिवादी के लिए उस तारीख को भूखंड आवंटित करना संभव था, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरी तरह से अपनी चूक के कारण नहीं किया, न कि किसी चूक के कारण। भूखंड के अंतिम आवंटन के परिणामस्वरूप एक लंबी

मुकदमेबाजी का अंत भी हो सकता है। जब कोई अदालत ऐसे निर्वासित के पक्ष में आदेश पारित करती है, तो वास्तव में यह माना जाता है कि निर्वासित भूखंड का हकदार था जब उसने आवेदन किया था और उस तारीख को आवंटन का हकदार था और प्रतिवादी उस तारीख को भूखंड का कब्जा सौंपने की स्थिति में थे, लेकिन गलत तरीके से ऐसा नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में यह कहा जाता है कि बेदखल व्यक्ति उस मूल्य के लाभ का हकदार होगा जो उसने आवेदन करते समय प्रचलित था और उस आवेदन के अनुसार प्रतिवादी ने जानबूझकर भूखंड आवंटित नहीं किया, हालांकि वे कर सकते थे। (पैरा 82)

आगे कहा कि फिर भी, ऐसे मामले में भी, बेदखल व्यक्ति को उस तारीख से उचित ब्याज का भुगतान करना होगा जिस दिन उसे भूखंड का कब्जा दिया जा सकता था, जब तक कि उसे वास्तव में भूखंड का कब्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में बेदखल व्यक्ति को इस अवधि के दौरान अपने धन के उपयोग का लाभ मिला है। हम इस बात की सराहना करते हैं कि इस तरह के निर्वासित को इस अवधि के दौरान भूखंड के उपयोग से वंचित कर दिया गया होगा। इस आगे के ठीक संयोजन के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और एक रिट याचिका में आसानी से निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

(पैरा 83)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी निर्वासित का आवंटन का अधिकार समाप्त नहीं होगा, भले ही उसने किसी विज्ञापन के जवाब में निर्वासित कोटे के तहत आवेदन नहीं किया हो—वह बाद में आवेदन कर सकता है, और यदि भूखंड उपलब्ध है, तो वह आवंटन का हकदार होगा।

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार एक विस्थापित व्यक्ति जिसे भूखंड आवंटित नहीं किया गया है, हालांकि उसने इसके लिए आवेदन किया है, उसी श्रेणी के तहत भविष्य में भूखंड के आवंटन के लिए विचार करने की अपनी पात्रता नहीं खोता है।

याद कोई निर्वासित विज्ञापन के जवाब में आवेदन नहीं करता है, वह बाद में निर्वासित श्रेणी के तहत भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने से वंचित नहीं है। जिस कीमत पर आवंटन किया जाना है, उससे आगे निपटा जाएगा। (पैरा 66)

अदालत ने आगे कहा कि अधिकारी पहले निर्वासितों को उनके कोटे के अनुसार आवंटन करने के लिए बाध्य थे, और फिर जनता के लिए खुले आवंटन फेंक देते थे।

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रश्न-3 का उत्तर यह अभिनिर्धारित करके दिया जाता है कि प्रतिवादी प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 50 प्रतिशत भूखंडों के अधीन आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के हकदार हैं। आरक्षण की सीमाध्प्रतिशत किसी क्षेत्र में भूखंडों की कुल संख्या है न कि किसी क्षेत्र में हर बार बहने वाले भूखंडों की संख्या। आम जनता को भूखंड आवंटित करने से पहले किसी क्षेत्र में भूखंड विस्थापितों को विस्थापितों के लिए आरक्षण की सीमा तक आवंटित किए जाने चाहिए। अतः यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में शेष भूखंड भी आरक्षण की सीमा तक विस्थापितों को पहले आवंटित किए जाने चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कोई आवंटित भूखंड नहीं है, तो उन्हें पहले विस्थापितों को उनके पक्ष में आरक्षण की सीमा तक आवंटित किया जाएगा और उसके बाद ही आम जनता को आवंटित किया जाएगा। पहले से किए गए आवंटन को बाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करेगा जो हमारे सामने नहीं हैं और जिनके पास अपनी स्थिर स्थिति को अस्थिर करने के खिलाफ कई बचाव होंगे।

(पैरा 55)

अर्जित संपत्ति में एक सह-हिस्सेदार के पास एक निर्वासित के सभी अधिकार होंगे।

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि सह-मालिकों के अधिकार अब जरनैल सिंह के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले से स्थापित हुए हैं। फैसला हम पर बाध्यकारी है। फिर भी सवाल यह है कि इन अधिकारों को कैसे लागू किया जा सकता है।

(पैरा 121)

आगे कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति सह-हिस्सेदार के रूप में निर्वासित कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए जाने के अपने अधिकार को स्थापित कर लेता है, तो उसके आवेदन पर उसी तरह से निर्णय लिया जाना चाहिए जिस तरह से किसी अन्य निर्वासित के आवेदन पर विचार किया जाता है। किसी भी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली सभी नीतियां और सिद्धांत सह-भागीदारों पर भी लागू होंगे। उदाहरण के लिए, एक सह-भागीदार अगले आसपास के भूखंड में एक वैकल्पिक भूखंड के लाभ का भी हकदार

होगा यदि उसे उस क्षेत्र में एक भूखंड आवंटित नहीं किया जाता है जिससे उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अपने व्यक्तिगत हिस्से के आधार पर। उदाहरण के लिए, एक सह-मालिक अपनी स्वतंत्र हिस्सेदारी का 75 प्रतिशत नहीं खो सकता है। उस स्थिति में वह निर्वासित कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए जाने का हकदार नहीं होगा। (पैरा 122)

पूर्वाहन पुंछी, अधिवक्ता

अनुपम बंसल, अधिवक्ता

2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 22252 में याचिकाकर्ताओं के लिए। पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

वैभव जैन, अधिवक्ता, रंजीत सैनी, अधिवक्ता, अराव गुप्ता, अधिवक्ता और परमवीर सिंह, अधिवक्ता

2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 2747 में याचिकाकर्ताओं के लिए। नरेंद्र सिंह, अधिवक्ता

सत्यवीर सिंह यादव, अधिवक्ता और सौरभ दलाल, 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 5927 में याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता **B-R-Mahajan**, महाधिवक्ता हरियाणा के साथ

दीपक बालियान, एडिशनल। ए. जी., हरियाणा

हरियाणा राज्य के लिए

दीपक सभरवाल, अधिवक्ता, अमर विवेक, अधिवक्ता, शुभ्रा सिंह, अधिवक्ता और सौरभ मग्गू, हुडा के अधिवक्ता

एस. **J-VAZIFDAR**, सी. जे.

(1) ये याचिकाएं उन पक्षों के अधिकारों से संबंधित हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत प्राप्त मुआवजे के अलावा भूखंडों के आवंटन के लिए किया गया है। आवंटन कुछ हद तक तरजीही आधार पर होता है और इसे 'निर्वासित कोटा' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

(2) वर्ष 1987 से हरियाणा राज्य द्वारा विस्थापित कोटा के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए विस्थापितों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाली नीतियां शुरू की गई हैं। निर्वासितों के अधिकारों के संबंध में कई मुद्दे हैं, जिनमें से कई इस न्यायालय के निर्णयों के विषय रहे हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतिम रूप दिया गया है। हालाँकि, नीतियों की व्याख्या और प्रयोज्यता के साथ-साथ इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों की व्याख्या से संबंधित कई मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। समय-समय पर हमने इनमें से कई याचिकाओं को जोड़ दिया। सभी याचिकाओं का निपटारा करने के बजाय, हम इस निर्णय को तीन याचिकाओं तक सीमित रखने का विकल्प चुनते हैं एक साथ उन अधिकांश मुद्दों को शामिल करते हैं जिन पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता होती है।

(3) इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ, जिसमें हम दोनों (सी. जे.) और हरिंदर सिंह सिद्धू, जे.) सदस्य थे, ने दिनांकित (आई. डी. 2) के एक आदेश द्वारा यह उचित समझा कि इन याचिकाओं पर मामले के महत्व और इस न्यायालय में लंबित बड़ी संख्या में मामलों के कारण एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाए। खण्ड पीठ द्वारा कई मुद्दे तैयार किए गए थे।

(4) दिनांक 15.09.2017 के एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश ने इन मुद्दों के निर्धारण के लिए इस पूर्ण पीठ का गठन किया।

(5) संदर्भ के आदेश ने विभिन्न प्रश्न उठाए। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, हमने प्रश्नों को संशोधित किया और पक्षों को कुछ अतिरिक्त प्रश्न उठाने की अनुमति दी। हमारे द्वारा अंतिम रूप दिए गए और उत्तर दिए गए प्रश्न इस प्रकार हैं:—

1. क्या विस्थापित कोटे के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए विस्थापितों के दावों का आम जनता और अन्य संवैधानिक रूप से अनुमत आरक्षित श्रेणियों को भूखंड देने से पहले निपटारा किया जाना आवश्यक है?

2. क्या निर्वासित आरक्षण के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण

क्या यह एक वैध तर्कसंगत मानदंड पर आधारित है?

3. क्या विस्थापितों के लिए भूखंडों की संख्या आरक्षित की जानी है

पहले विस्थापितों को आवंटित किया जाना चाहिए?

4. क्या अधिकारी निर्वासित को निर्वासित कोटे के तहत भूखंड की पेशकश करने के लिए बाध्य हैं या निर्वासित पहले इसके लिए आवेदन करने के लिए बाध्य है?

5. यदि अधिकारी निर्वासित को निर्वासित कोटे के तहत भूखंड की पेशकश करने के लिए बाध्य हैं, तो क्या वे अपने पूर्णतः विवेकाधीन पर यह तय करने के हकदार हैं कि निर्वासितों को प्रस्ताव कब दिया जाना है? यदि नहीं, तो अधिकारी कब प्रस्ताव देने के लिए बाध्य हैं?

6. एक निर्वासित कब आवंटन के लिए विचार किए जाने का हकदार होता है

निर्वासित श्रेणी के तहत एक भूखंड का?

7. एक निर्वासित का क्या अधिकार है जो आवंटन के अपने अधिकार का प्रयोग तब नहीं करता है जब वह पहले अर्जित होता है या एक निर्वासित का जिसे भूखंड नहीं मिलता है, हालांकि वह इसके लिए आवेदन करता है?

8. क्या निर्वासित व्यक्ति निर्वासित की भूमि के अधिग्रहण की तारीख, निर्वासित कोटे के तहत आवंटन के लिए पात्रता की तारीख, राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा अर्बन की तारीख को आवंटन के लिए निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है? निर्वासित कोटे के तहत आवंटन की पेशकश या निर्वासित कोटे के तहत आवंटन के लिए विकल्प के प्रयोग की तारीख?

9. जिस आधार पर कीमत की मात्रा निर्धारित गणना की जानी है निर्वासित कोटे के तहत आवंटन के लिए?

10. बहिष्कृत व्यक्ति के लिए कौन सी नीति लागू होती है—पात्रता की तारीख, अधिग्रहण की तारीख, प्रस्ताव की तारीख, क्षेत्र के शुरू होने की तारीख या विकल्प के प्रयोग की तारीख?

11. क्या दिनांक 1 की नीति को ध्यान में रखते हुए, कोई व्यक्ति केवल तभी निर्वासित कोटे का हकदार है जब उसकी भूमि उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है?

12. क्या एक विस्थापित व्यक्ति जिसे उसी क्षेत्र में भूखंड आवंटित नहीं किया जा सकता है, वह अगले आसपास के क्षेत्र में भूखंड के आवंटन का हकदार है? अगले आवासीय क्षेत्र अपे. अपे की अवधारणा क्या है? एक निकटवर्ती क्षेत्र?

13. सह-भागीदारों के अधिकार क्या हैं?

14. क्या 11.08.2016 की नीति या उसका कोई हिस्सा है

अवैध?

(6) जैसा कि ये प्रश्न कई समान याचिकाओं में उत्पन्न होते हैं, हमने इन याचिकाओं में वकील को भी हमें संबोधित करने की अनुमति दी, हालांकि हमने इस निर्णय को केवल उपरोक्त तीन याचिकाओं तक ही सीमित कर दिया है। कई अन्य याचिकाओं को वास्तव में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कई फैसलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो विस्थापितों यानी उन पक्षों के पुनर्वास की आवश्यकता पर विस्तार से बताते हैं जिनकी भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई है। इन कारणों को कई निर्णयों में दोहराया और विस्तार से बताया गया है।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्रीमती पिस्ता देवी और अन्य में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना है। जो उस बिंदु पर पहला मामला है जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

“9. हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिन व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहित की गई है, उनमें से कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास घर या दुकान स्थल नहीं हैं और यदि उन्हें उनकी भूमि से बाहर फेंक दिया जाना है तो उन्हें गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। चूंकि मेरठ के लोगों को आवासीय आवास प्रदान करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, इसलिए जिन लोगों को अधिग्रहण की कार्यवाही के कारण जब्त किया जा रहा है, वे भी मेरठ विकास प्राधिकरण के हाथों कुछ राहत पाने के पात्र होंगे। हम इस स्तर पर दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की खंड 21 (2) में निहित प्रावधान का उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार है:

“21. (2) उप-धारा 1 के तहत भूमि के निपटान के संबंध में संबंधित प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियों का उपयोग इस तरह से किया जाएगा कि जो व्यक्ति भूमि पर रह रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या अन्य गतिविधियाँ कर रहे हैं, यदि वे संबंधित प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की भूमि पर आवास प्राप्त करना चाहते हैं और इसके विकास और उपयोग के बारे में संबंधित प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की किसी भी आवश्यकता का पालन करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें उस कीमत के संबंध में तय की गई शर्तों पर अपनी उचित आवश्यकताओं के अनुरूप आवास प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिस पर उनसे ऐसी कोई भूमि अधिग्रहित की गई है:

बशर्ते कि जहां संबंधित प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण किसी भी भूमि को बिना किसी विकास के या उस पर किए गए किसी भी भूमि को बिक्री द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करता है, तो वह पहली बार में उन व्यक्तियों को भूमि प्रदान करेगा जिनसे वह अधिग्रहित की गई थी, यदि वे इसे ऐसी आवश्यकताओं के अधीन खरीदना चाहते हैं जो इसके विकास और उपयोग के लिए हैं जो संबंधित प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण अधिरोपित करना उचित समझे।”

10. यद्यपि उक्त खंड वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही के लिए लागू नहीं है, हमारा विचार है कि दिल्ली विकास अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान में एक संपूर्ण सिद्धांत है जिसका पालन पूरे देश के सभी विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाना चाहिए जब वे शहरी क्षेत्रों में भूमि विकास के उद्देश्यों के लिए भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण करते हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि मेरठ विकास प्राधिकरण, जिसके लाभ के लिए विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया है, राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा उर्बन विस्थापन प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के सर्वांगीण जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से समग्र प्रयास भी होने चाहिए।”

(10) जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि दिनांकित 10.09.1987 नीति से शुरू होने वाली और दिनांकित 11.08.2016 नीति के साथ समाप्त होने वाली कई नीतियां हैं जिन्हें 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 5927 में चुनौती दी गई है।

(11) विद्वान महाधिवक्ता ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि प्रत्येक नीति आवश्यक रूप से एक नई स्व-निहित नीति नहीं है जो पिछली नीतियों के प्रभाव को समाप्त करती

है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से इस दलील पर सहमति व्यक्त की कि प्रत्येक नीति पर पिछली नीतियों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। नीतियों की प्रकृति के आधार पर, प्रत्येक नीति के प्रावधानों का यह पता लगाने के लिए अर्थ लगाया जाना चाहिए कि क्या पिछली नीति/नीतियों में संबंधित प्रावधानों को बनाए रखा गया है, संशोधित किया गया है या रद्द कर दिया गया है। तदनुसार वे इस बात पर सहमत हुए कि पहले की नीतियां लागू होती रहीं, सिवाय इसके कि बाद की नीतियों द्वारा उन्हें संशोधित या रद्द कर दिया गया हो।

(12) हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक नीति केवल संभावित रूप से काम करेगी और पूर्वव्यापी रूप से नहीं। हमारे विचार में, ऐसा कोई व्यापक अवलोकन नहीं हो सकता है कि प्रत्येक नीति या किसी नीति की प्रत्येक अवधि केवल संभावित रूप से काम करेगी। यह प्रत्येक नीति और उसमें शामिल प्रत्येक शर्त पर निर्भर करेगा। प्रत्येक मामले में यह पता लगाना आवश्यक होगा कि क्या विशेष पहलू संभावित है या पूर्वव्यापी है।

(13) पहले इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम संदीप और अन्य 2 में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है या क्या यह निर्णय की शुद्धता पर विचार करने के लिए हमारे लिए खुला है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संदीप के मामले में फैसले के अनुपात को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार नहीं रखा गया है और पूर्ण पीठ के लिए इसके विपरीत दृष्टिकोण रखना खुला है। उत्तरदाता अन्यथा तर्क देते हैं। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे और इस निर्णय का एक बड़ा हिस्सा इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। इसलिए, पहले इससे निपटना आवश्यक है। हमारे विचार में निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह हमारे लिए एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए खुला नहीं है।

(14) तदनुसार हम कई मुद्दों पर संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले का बार-बार उल्लेख करेंगे।

इस प्रश्न का निर्णय करना कि निर्णय को बरकरार रखा गया है या नहीं, निर्णय का अनुपात भी निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के उन आदेशों का

उल्लेख करना आवश्यक है जिन्होंने हमारे विचार में संदीप के मामले में फैसले को बरकरार रखा है जो हमें उस फैसले की शुद्धता पर विचार करने से रोकते हैं।

(15) संदीप के मामले में फैसले से पहले, इस अदालत की एक अन्य खण्ड पीठ ने वेद पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 3 मामले में फैसला सुनाया। संदीप के मामले और वेद पाल के मामले में निर्णय क्रमशः 25.04.2012 और 18.11.2011 पर दिए गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले में फैसले के खिलाफ अपील और उसके बाद वेद पाल के मामले में फैसले को चुनौती देने वाली अपील का निपटारा कर दिया। हम मानेंगे कि वेद पाल के मामले ने संदीप के मामले में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, हालांकि संदीप के मामले में निर्णय वेद पाल के मामले में फैसले को संदर्भित करता है। यह सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश और फैसले हैं जो इस मुद्दे का फैसला करते हैं कि संदीप के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है या नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि संदीप के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कोई निर्णय नहीं है और इसमें कोई अनुपात नहीं है, आदेशों को एक साथ पढ़ना आवश्यक है। हमारे लिए वेद पाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए इस निवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि उसने संदीप के मामले में फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले को मंजूरी दी थी।

(16) संदीप के मामले और अन्य संबंधित मामलों में आदेशों और फैसलों के खिलाफ अपीलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 06.03.2014 के एक आदेश और फैसले द्वारा किया गया था। आदेश इस प्रकार है:—

“हरियाणा राज्य ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 (संक्षेप में, “अधिनियम”) की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी की थी और वर्ष 1989 में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों 55 और 56, गुड़गांव के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था।

विस्थापितों के विस्थापन की मान्यता में एक पुनर्वास और पुनर्वास नीति तैयार की गई थी जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, “हुडा”) और हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया था।

इसके बाद, हुडा ने वर्ष 1992 में गुड़गांव के सेक्टर 55 और 56 में आम जनता को फ्री होल्ड आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए विज्ञापन दिया और योजना शुरू की।

याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. बाली ने कहा कि पुनर्वासधुनर्स्थापन नीति के कोटे में भूखंडों के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

विज्ञापन में, प्रतिवादी-हुडा ने विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत अधिग्रहित भूखंडों के आवंटन के लिए विस्थापितों और आम जनता दोनों से आवेदन आमंत्रित किए थे।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश में विशेष रूप से कहा है कि निर्वासित, जिनकी भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई है, वे एक अलग और विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं और पुनर्वास प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भूखंड के आवंटन के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। यह भी सामने आया है कि भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय, हुडा ने विस्थापितों को पहली प्राथमिकता दी थी और उसके बाद आम जनता आवेदकों को जिन्होंने सामान्य श्रेणी में अपने आवेदन दायर किए थे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, याचिकाकर्ता (गण) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रचारित तर्क हमें आकर्षित नहीं करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को बरकरार रखते हुए हम विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हैं।”

(17) श्री बाली, श्री पुंची, श्री नरेंद्र सिंह, श्री संदीप शर्मा और श्री संजय वशिष्ठ, याचिकाकर्ताओं की ओर से 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 22252,2017 की 2747,2017 की 5927,2016 की 22018 और 2016 की 24361 सहित याचिकाओं के एक समूह में उपस्थित अधिवक्ताओं ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि इस आदेश में कोई अनुपात नहीं है और यह एक मिसाल के रूप में काम नहीं करता है। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह निर्धारित करने के लिए इस आदेश का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है कि संदीप के मामले में फैसले की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी या नहीं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर वेद पाल के मामले में इस न्यायालय के आदेश और फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए इस पर विचार किया। वेद पाल के मामले

में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील का निपटारा एक आदेश और दिनांक 12.03.2014 के फैसले द्वारा किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया:

"5. उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिकाओं का निपटारा किया था और आगे अपीलकर्ता-विकास प्राधिकरण को भूखंडों के आवंटन के लिए आम जनता को भूमि देने से पहले एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

6. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार जारी किए गए निर्देशों से व्यथित विकास प्राधिकरण इन अपीलों में हमारे समक्ष है।

7. हमने श्री नीरज कुमार जैन को सुना है, जो विकास प्राधिकरण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उत्तरदाताओं भूमि हारने वालों के लिए विद्वान अधिवक्ता हैं। हमने अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

8. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य अन्य संदीप और अन्य के मामले में उसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विपरीत है। (2011 का एल. पी. ए. सं. 2096) और संबंधित मामले, दिनांक 25.04.2012 जिन निर्णय को इस न्यायालय ने 2012 के एस. एल. पी. (सी) सं. 23933 में उक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ विकास प्राधिकरण द्वारा दायर अपीलों और दिनांक 06.03.2014 के आदेश द्वारा अन्य संबंधित मामलों को खारिज करते हुए मंजूरी दी है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलों का निपटारा करते हैं और अब अपीलकर्ता-विकास प्राधिकरण को निर्देश देते हैं कि वे भूमि खोने वालों के लिए एक आवंटन योजना जारी करें, जिनकी भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 55 और 56, गुड़गांव के रूप में आवासीय क्षेत्र की स्थापना और विकास के लिए अधिग्रहित की गई है, इस न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर। योजना को जारी करते समय विकास प्राधिकरण संदीप के मामले (ऊपर) में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखेगा, जैसा कि हमने पुष्टि की है।

10. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अपीलों का निपटारा किया जाता है।" (जोर दिया गया)

((18) उच्चतम न्यायालय के इन दोनों आदेशों और निर्णयों को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो यह स्थापित होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संदीप के मामले में निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन वेद पाल के मामले में निर्णय को नहीं। कम से कम जहां तक यह संदीप के मामले के विपरीत है। यह विशेष रूप से वेद पाल के मामले में फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करने वाले फैसले से स्पष्ट है।

(19) श्री बाली ने कहा कि संदीप के मामले और वेद पाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश और निर्णय पूर्व निर्णय नहीं हैं, इनमें कोई अनुपात नहीं है और इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के ये आदेश अंतर्विरोध हैं और बृज मोहन बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 4 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत हैं, और इसलिए, इस न्यायालय, हरियाणा राज्य और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भी इसकी अनदेखी की जानी चाहिए।

(20) याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री बाली और श्री पुंछी का यह तर्क कि उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनुपात में नहीं हैं और इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए, पूरी तरह से स्थापित नहीं है। फैसलों को जब एक साथ पढ़ा जाता है और विशेष रूप से वेद पाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एक से अधिक कारणों से यह स्थापित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संदीप के मामले में इस न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और इस अदालत द्वारा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

(ए) पैराग्राफ-7 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: "हमने अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क को बनाए रखने के लिए, हमें इस अवलोकन को इस निष्कर्ष के साथ नजरअंदाज करना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में रिकॉर्ड पर दस्तावेजों और इस न्यायालय के फैसले और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन नहीं किया था। हम हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से न तो ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं और न ही ऐसा करने के हकदार हैं।

(बी) पैराग्राफ-8 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेद पाल के मामले में खण्ड पीठ का फैसला संदीप के मामले में पारित फैसले और आदेश के विपरीत है। ऐसा कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि संदीप के मामले में फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं वेद पाल के मामले में निर्णय दिया कि उसने संदीप के मामले में निर्णय को मंजूरी दे दी है। हम इस अवलोकन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं या इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं जैसा कि हमें आमंत्रित किया गया था। अगर हम इस निवेदन को प्रतिग्रहण करना करते हैं तो यह हमारे कहने के बराबर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले में फैसले को मंजूरी नहीं दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो कहा था, उसके बिल्कुल विपरीत है, अर्थात् उसने संदीप के मामले में फैसले को मंजूरी दी थी।

(सी) वेद पाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ-9 के अंतिम वाक्य से संदेह, यदि कोई हो, शांत हो जाता है: "योजना को जारी करते समय, विकास प्राधिकरण संदीप के मामले (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखेगा, जैसा कि हमने पुष्टि की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि उसने संदीप के मामले में फैसले की पुष्टि की है। इससे अधिक स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता।

(डी) इसके अलावा, अधिकारियों को संदीप के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना को जारी करने का निर्देश दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले में फैसले की पुष्टि नहीं की होती, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक प्रतिवादी को संदीप के मामले में जारी निर्देशों के अनुसार योजना को जारी करने का निर्देश देने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर हम संदीप के मामले में अनुपात की फिर से जांच करते हैं और एक विपरीत दृष्टिकोण पर आते हैं और तदनुसार अधिकारियों को निर्देश जारी करते हैं, तो वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत होंगे। यह याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के खिलाफ एक स्पष्ट जवाब है कि हम संदीप के मामले के विपरीत दृष्टिकोण रखने के हकदार हैं।

(ई) इसके बाद भी उच्चतम न्यायालय ने संदीप के मामले में अपने फैसले का लगातार पालन किया। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील के लिए विशेष अनुमति याचिकाओं के एक समूह में 14.01.2015 दिनांकित एक आदेश और निर्णय द्वारा, जिसमें से पहला

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम कृष्णा के मामले में 2011 का ई.सू. छव. 26147 था, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

“वर्तमान विशेष अनुमति याचिका चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा की एक खंड पीठ द्वारा 2011 के एल. पी. ए. संख्या 897 में पारित आदेशों के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत और जिसके तहत खण्ड पीठ याचिकाकर्ता को कुछ निर्देश जारी करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में “हुडा”) है।

विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ हुडा को पूर्व की नीति के अनुसार भूखंड के आवंटन के लिए प्रतिवादी के दावे पर विचार करने के निर्देश को बरकरार रखा।

इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए मुद्दे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले में शामिल हैं।

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, हमें मामले के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष अनुमति याचिका का निपटान बहुत कम आधार पर किया जा सकता है जो दोनों पक्षों के हितों को संतुष्ट करेगा।

तदनुसार, हम इस विशेष अनुमति याचिका का इस निर्देश के साथ निपटारा करते हैं कि यदि प्रत्यर्थी का आवेदन निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए विचाराधीन है, तो इस अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम संदीप और अन्य, 2011 का एल. पी. ए. संख्या 2096 आदि के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के आलोक में कानून के अनुसार और हुडा द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।” (जोर दिया गया)।

(21) इसलिए संदीप के मामले में इस अदालत की खण्ड पीठ के फैसले की शुद्धता पर विचार करने का सवाल नहीं उठ सकता है। यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम कृष्णा में अपने आदेश और दिनांक 1 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के समान निर्देशों के विपरीत भी होगा, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट निर्देश जारी किया था कि आवंटन के लिए प्रतिवादी के आवेदन पर हुडा द्वारा कानून के अनुसार और संदीप के

मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के आलोक में विचार किया जाएगा।

(22) इसलिए, हमारे विचार में, संदीप के मामले में इस अदालत की खण्ड पीठ के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। संदीप के मामले में इस अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखना हमारे लिए खुला नहीं है। हम संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले से बंधे हैं। संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले को अधिक सुनाने के परिणामस्वरूप संदीप के मामले और वेद पाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और फैसलों का सीधा उल्लंघन और उल्लंघन होगा। यह न्यायिक अनुशासनहीनता होगी।

(23) उनके इस तर्क के समर्थन में कि वेद पाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, संदीप का मामला और कृष्ण का मामला पूर्व निर्णय नहीं है, इसमें कोई अनुपात नहीं है और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए, श्री बाली ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया जिन पर अब हम विचार करेंगे।

(24) उत्तर प्रदेश राज्य में और एक अन्य बनाम सिंथेटिक और रसायन लिमिटेड और अन्य 5, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:— “40. ‘इनक्यूरिया’ का शाब्दिक अर्थ है ‘लापरवाही’। व्यवहार में प्रति इनक्यूरियम का अर्थ प्रति अज्ञान प्रतीत होता है। अंग्रेजी अदालतों ने इस सिद्धांत को टकटकी निर्णय लिया के नियम में ढील देते हुए विकसित किया है। ‘अधिनियम में उद्धरण’ से बचा जाता है और इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है यदि इसे ‘किसी कानून या अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में’ प्रस्तुत किया जाता है। (यंग बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन कंपनी लिमिटेड ख(1944) 1 ज़ठ 718:(1944) 2 सभी ईआर 293.)। इसे इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 141 की व्याख्या करते हुए स्वीकार किया गया है, अनुमोदित किया गया है और अपनाया गया है जो कानून के मामले के रूप में पूर्व निर्णय के सिद्धांत का प्रतीक है। जैसरी साहू बनाम राजदेवन दुबे ख(1962) 2 एससीआर 558:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 83, यह न्यायालय एक पीठ के समक्ष परस्पर विरोधी निर्णयों को रखे जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों से एक मार्ग निकाला जिसमें एक अपवाद को शामिल किया गया है जब एक अपील न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं है।

41. क्या यह सिद्धांत कानून के किसी निष्कर्ष पर लागू होता है, जिसे न तो उठाया गया था और न ही किसी विचार से पहले। दूसरे शब्दों में, क्या ऐसे निष्कर्षों को कानून की घोषणा माना जा सकता है? यहाँ फिर से अंग्रेजी अदालतों और न्यायविदों ने पूर्व निर्णय नियमों के लिए एक अपवाद तैयार किया है। इसे उप-मौन के नियम के रूप में समझाया गया है। "एक निर्णय उप-मौन पारित करता है, तकनीकी अर्थ में जो उस वाक्यांश से जुड़ा हुआ है, जब निर्णय में शामिल कानून के विशेष बिंदु को अदालत द्वारा महसूस नहीं किया जाता है या उसके दिमाग में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।" (न्यायशास्त्र 12 वीं संस्करण पर सैल्मंड पी. 153)। लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड [(1941) 1 KB 675,677:(1941) 2 सभी ई. आर. 11, न्यायालय पहले के निर्णय से बाध्य महसूस नहीं करता था क्योंकि इसे 'बिना किसी तर्क के, नियम के महत्वपूर्ण शब्दों के संदर्भ के बिना और प्राधिकरण के किसी भी उद्धरण के बिना' प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली नगर निगम बनाम वर्णम कौर मामले में इस अदालत ने इसे मंजूरी दी थी। [(1989) 1 एस. सी. सी. 101, पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि 'पूर्ववर्ती उप-मौन और बिना तर्क के कोई क्षण नहीं है'। इस प्रकार अदालतों ने अन्यायपूर्ण पूर्व निर्णय द्वारा किए गए अन्याय से राहत पाने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया है। एक ऐसा निर्णय जो व्यक्त नहीं है और कारणों पर आधारित नहीं है और न ही यह आगे बढ़ता है।

इस मुद्दे पर विचार को बाध्यकारी प्रभाव घोषित करने वाला कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा विचार किया गया है। एकरूपता आ एकरूपता न्यायिक अनुशासनक मूल अछि। लेकिन जो बिना किसी अवसर के निर्णय में बच जाता है वह अनुपात निर्णय नहीं है। बी. शर्मा राव बनाम केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी ख. आई. आर. 1967 एस. सी. 1480 (1967) 2 एस. सी. आर. 650:20 एस. टी. सी. 215, यह कहा गया था, 'यह कहना तुच्छ है कि कोई निर्णय उसके निष्कर्षों के कारण नहीं बल्कि उसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांतों के संबंध में बाध्यकारी है'। बिना किसी विचार के या बिना किसी कारण के पहले की गई किसी भी घोषणा या निष्कर्ष को कानून की घोषणा या सामान्य प्रकृति का अधिकार नहीं माना जा सकता है जो एक उदाहरण के रूप में बाध्यकारी है। असहमति या अतिनिर्णय में प्रतिबंध स्थिरता और एकरूपता के लिए है, लेकिन उचित सीमाओं से परे कठोरता कानून के विकास के लिए हानिकारक है।" (जोर दिया गया)

(25) वेद पाल के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-7 में कहा, “हमने अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।” इस प्रकार निर्णय में संबंधित नीतियों, निर्णयों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। तब हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने अभिलेख पर दस्तावेजों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था, वे वास्तव में लापरवाही कर रहे थे और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों से अनजान थे। न ही यह हमारे लिए खुला है कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस आधार पर नजरअंदाज करें कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मौन हैं या कानून के मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं समझे गए थे या उसके दिमाग में नहीं थे। हमारे लिए यह कहना बहुत कम खुला है कि निर्णय बिना किसी दिमाग के या बिना किसी कारण के थे। इसलिए यह फैसला याचिकाकर्ताओं के लिए कोई मददगार नहीं है।

(26) आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और एक अन्य बनाम नगर निगम बड़ी बोम्बे और अन्य 6 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय में आने वाले किसी शब्द, खंड या वाक्य को, जो उसके संदर्भ से अलग है, उस प्रश्न पर कानून का पूर्ण विवरण युक्त माना जाना उचित नहीं है, जब उस निर्णय में प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया गया था। हालाँकि, संदीप के मामले में, प्रश्नों पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया और किसी भी मामले में गहराई से विचार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने इस पर विचार किया था और यह मामला वहाँ। इस न्यायालय द्वारा उस कथन का परीक्षण करने का कोई सवाल ही नहीं है जो हमें करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(27) जितेंद्र कुमार और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 7 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया:—

“53. अन्यथा भी, केवल एक निर्णय में अलग-अलग टिप्पणियों को उद्धृत करने को उन तथ्यों और परिस्थितियों के लिए एक पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता है जिनमें उपरोक्त अवलोकन किया गया था।

54. भारत संघ बनाम धनवंती देवी ख(1996) 6 एस. सी. सी. 44, में इसी तरह के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, इस अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी की:(एससीसी पीपी।51-52, पैरा 9)

‘9.....यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कहा जाता है जो एक मिसाल है। एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात को अलग करना महत्वपूर्ण है।³ निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न कि उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से क्या होता है।³ इसलिए, निर्णय से यहाँ-वहाँ एक वाक्य निकालना और उस पर निर्माण करना लाभदायक नहीं होगा क्योंकि निर्णय का सार उसका अनुपात है न कि उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन।³ यह केवल निर्णय में निर्धारित सिद्धांत है जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी कानून है।” (जोर दिया गया)

55) उड़ीसा राज्य बनाम मोहम्मद में।इलियास ख(2006) 1 एस. सी. सी. 275:2006 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 122, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित रूप में कानून को दोहराता है:(एस. सी. सी. पी. 282, पैरा 12)

“12. ³ उसके समक्ष मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखे बिना निर्णय पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। एक निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर एक मिसाल है। प्रत्येक मामला अपनी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कहा जाता है जो एक मिसाल है।³ निर्णय एक प्राधिकरण है जो वास्तव में क्या निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार होता है वह है उसका अनुपात और उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से क्या प्रवाहित होता है।

जिस कारण या सिद्धांत पर अदालत के समक्ष किसी प्रश्न का निर्णय लिया गया है, उसका उच्चारण ही एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है।³ एक मामला एक पूर्ववर्ती और बाध्यकारी है कि यह स्पष्ट रूप से क्या तय करता है और इससे अधिक नहीं। न्यायाधीशों

द्वारा अपने निर्णयों में उपयोग किए गए शब्दों को इस तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वे संसद के किसी अधिनियम के शब्द हों।”

(28) हमने एक प्रस्ताव के समर्थन में संदीप के मामले में फैसले के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं किया है या उसका पालन नहीं किया है जो तार्किक रूप से उसमें टिप्पणियों से मिलता है। हमने वास्तव में निर्णय में स्पष्ट रूप से जो निर्णय लिया गया है उसका पालन किया है।

(29) फिदा हुसैन और अन्य बनाम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य 8 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया:—

“21. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि विशिष्ट तथ्यों पर आधारित इस न्यायालय का निर्णय भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में काम नहीं करता है। केवल इस न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाले कानून के सिद्धांत, जिन्होंने समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता की है, अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर बाध्यकारी पूर्व निर्णय हैं। तथापि, यदि न्यायालय के समक्ष विधि का प्रश्न पिछले मामले की तरह ही है, तो पूर्व में न्यायालय का निर्णय उत्तराधिकार पर बाध्यकारी है, इस कारण से कि न्यायालय के समक्ष विधि का प्रश्न पहले ही सुलझा लिया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय तथ्यों के एक निश्चित समूह के लिए एक निश्चित मुद्दे का निर्धारण करता है, तो वह मुद्दा तथ्यों के उसी समूह पर किसी अन्य मामले के लिए निर्धारित किया जाता है।”

(30) यह सुझाव दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के फैसलों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि वे स्वयं सभी तथ्यों और कानून के प्रस्तावों को निर्धारित नहीं करते हैं। यह तरीका पूरी तरह से गलत है। विशेष रूप से वेद पाल के मामले और संदीप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले में फैसले की पुष्टि करने से पहले फैसलों, रिकॉर्ड और कानून के प्रावधानों पर विचार किया था। यह हमारे लिए खुला नहीं है कि हम इस फैसले को केवल इसलिए नजरअंदाज करें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं तथ्यों को निर्धारित नहीं किया है। यह न्यायिक अनुशासनहीनता का कार्य होगा।

(31) अब हम उपरोक्त रूप में तैयार किए गए प्रत्येक प्रश्न पर विचार करेंगे।

प्रश्न संख्या 1 को पढ़ें

प्र. क्या विस्थापित कोटे के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए विस्थापितों के दावों का आम जनता और अन्य संवैधानिक रूप से अनुमेय आरक्षित श्रेणियों को भूखंड देने से पहले निपटारा किया जाना आवश्यक है?

(32) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम संदीप और अन्य में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में नकारात्मक में दिया जाना चाहिए। खण्ड पीठ ने फैसला सुनाया कि:—

"26. निर्वासित, जिनकी भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई है, वे एक अलग और विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं और पुनर्वास प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भूखंड के आवंटन के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। यह किसी भी पक्ष द्वारा विवादित नहीं है कि निर्वासित एक अच्छी तरह से परिभाषित श्रेणी बनाते हैं जिसके लिए पुनर्वास के बड़े सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण आवश्यक है। इसलिए ऐसी श्रेणी के लिए भूखंडों के लिए आरक्षण हो सकता है। जरनैल सिंह के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत की एक पूर्ण पीठ ने प्रश्न संख्या 1 पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि विस्थापितों के लिए भूपीठों पर विचार करने वाली नीति कुछ और नहीं है, बल्कि ऐसे वर्ग के लिए भूपीठों का आरक्षण है। उसमें तैयार किया गया प्रश्न संख्या 3 थाय क्या कुछ प्रतिशत भूखंड विस्थापितों के लिए आरक्षित किए जाने की आवश्यकता है या कि विस्थापित आम जनता को आवंटित किए बिना पहले भूखंडों के तरजीही आवंटन के हकदार हैं? यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संवैधानिक रूप से अनुमत वर्गों के संबंध में आरक्षण केवल 50 प्रतिशत भूखंडों की सीमा के भीतर हो सकता है क्योंकि ऊपरी सीमा से अधिक आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश का उल्लंघन करता है। संबंधित उद्धरण निम्नानुसार हैं:

“सवाल यह उठता है कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक भूखंडों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड का उल्लंघन करेगा और भूखंडों के आवंटन के संबंध में भी 50 प्रतिशत तक अधिकतम आरक्षण की अवधारणा लागू की जा सकती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित आदेशों और निर्देशों के साथ किया जाता है:

1. निर्वासित, जिनकी भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की जाती है, वे अपने आप में एक वर्ग बनाते हैं, जिसका पुनर्वास के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत आधार होता है।

4. तथापि, निर्वासित, अपने आप में एक वर्ग के रूप में, भूखंडों के आरक्षण के लिए इस हद तक हकदार होंगे कि राज्य सरकार उचित समझे।

5. कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से अनुमेय वर्गों और भूखंडों के 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर भूखंडों के आरक्षण के लिए नीति को फिर से तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगीय और

28. उपरोक्त निर्णयों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों के किसी भी विद्वान अधिवक्ता ने आरक्षण पर ऊपरी सीमा के संबंध में कानून के ऐसे सिद्धांत पर विवाद नहीं किया, आरक्षण के अन्य सभी संवैधानिक रूप से अनुमेय वर्गों सहित विस्थापितों के लिए भूखंड 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते हैं।

प्रश्न संख्या 3.क्या किसी भूखंड के आवंटन से बेदखल व्यक्ति को वंचित करने के लिए अधिग्रहण से भूमि जारी करने का अर्थ अधिनियम की खंड 48 के अनुसार भूमि जारी करना है या इसमें अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा का प्रकाशन न करना भी शामिल है?

48. निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि किसी क्षेत्र के फ्लोटेशन से पहले भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया केवल निर्देशिका प्रावधान है। जब हुडा विस्थापितों के आवेदनों के साथ आम जनता से आवेदन आमंत्रित करता है, तो यह काफी हद तक उसके द्वारा बनाई गई नीतियों की शर्तों का पालन करता है। सेक्टर के फ्लोटेशन से पहले विस्थापितों को भूखंडों के आवंटन की आवश्यकता इस

उद्देश्य के लिए है कि विस्थापितों के दावों को आम जनता के दावे पर प्राथमिकता से स्वीकार किया जाना चाहिए। ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न संख्या 2 पर निर्णय के संदर्भ में, विस्थापित एक अलग और अलग श्रेणी बनाते हैं और आरक्षण के हकदार होते हैं। इस तरह के आरक्षण को तब प्रभावी बनाया जा सकता है जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध भूखंड निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक श्रेणी के आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। ऐसा करने के बाद, हुडा को आवेदन आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा शहरी के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। श्रेणी या प्रत्येक श्रेणी से आवेदन आमंत्रित करने वाले एक विज्ञापन द्वारा से हो सकता है। सभी योग्य आवेदकों, सामान्य श्रेणी और एक या अधिक आरक्षित श्रेणियों से एक विज्ञापन द्वारा से आवेदन आमंत्रित करना सुविधा की बात है। एक विज्ञापन भूखंडों के शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करेगा, जबकि प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग विज्ञापन केवल भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया में देरी करेंगे। वास्तव में, सार्वजनिक विज्ञापन निर्वासितों सहित अलग और विशिष्ट श्रेणी से आवेदन आमंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह नोटिस की प्राप्ति के संबंध में विवाद या अन्यथा इस तर्क से बचाता है कि उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भूखंड उपलब्ध होने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इस तरह की प्रक्रिया सभी समान रूप से स्थित भूखंडों के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करती है। यह सभी को समान अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, हम इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि आर एंड आर नीतियों में इस क्षेत्र के प्रवाह से पहले विस्थापितों से आवेदन लेने की शर्त अनिवार्य है। वास्तव में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि विस्थापितों को भूखंडों के आवंटन के माध्यम से पुनर्वास की नीति दो भागों में है, अधिक स्वीकार्य है। अनिवार्य प्रावधान भूखंडों के आवंटन के लिए विचार का अधिकार है। किसी क्षेत्र के प्रवाह से पहले आवेदन आमंत्रित करने की शर्त एक निर्देशिका प्रावधान है, क्योंकि यह भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित है।

56. इस प्रकार, वर्तमान अपील के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों का निपटारा ऊपर चर्चा किए गए कानून के प्रश्नों पर निर्णय के अलावा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

iii) कि हुडा या ऐसा अन्य प्राधिकरण विस्थापितों सहित सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध कुल भूखंडों के 50 प्रतिशत तक भूखंड आरक्षित कर सकता है। विस्थापितों के लिए

किस हद तक आरक्षण होगा, यह राज्य सरकार औरध्या हुडा या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा तय किया जाना आवश्यक है, जो भूमि अधिग्रहण का हकदार है।" (जोर दिया गया)

(33) ये टिप्पणियां आरक्षण के मुद्दे पर मामले को समाप्त करती हैं। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी उपलब्ध भूखंडों के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षित करने के हकदार नहीं हैं और विस्थापितों सहित सभी आरक्षित श्रेणियों के पक्ष में आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(34) यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्णय का अनुच्छेद-28 यह स्थापित करता है कि इस मुद्दे पर निर्णय रियायत पर था और इसलिए, आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाना हमारे लिए खुला है। प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।

(35) सबसे पहले, उपरोक्त अवलोकन रियायत पर नहीं थे। किसी भी मामले में वे केवल रियायत पर आधारित नहीं थे। प्रारंभिक शब्द "उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए"। इस दलील के खिलाफ विद्रोह करते हैं कि निर्णय केवल रियायत पर आधारित था। आरक्षण के मुद्दे पर खण्ड पीठ का निर्णय जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामलों में इस अदालत की पूर्ण पीठ के फैसलों पर आधारित था। निर्णय के पैरा-28 का दूसरा भाग 10 के प्रभाव के लिए कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तों में से किसी ने भी आरक्षण की ऊपरी सीमा के संबंध में कानून के ऐसे सिद्धांतों पर विवाद नहीं किया, इसलिए निर्णय का एकमात्र आधार नहीं था। इसके अलावा, जो भी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले, वेद पाल के मामले और कृष्णा के मामले में अपने आदेशों और फैसलों से संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले को मंजूरी दी और प्राधिकरण को उसके अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। इसलिए, हमारे लिए यह खुला नहीं है कि हम उच्चतम न्यायालय के इन फैसलों को इस आधार पर नजरअंदाज करें कि पैराग्राफ-28 वकील की रियायत दर्ज करता है।

(36) तब यह तर्क दिया गया कि संदीप के मामले में अनुपात और विशेष रूप से उसके पैराग्राफ-48 में निहित अनुपात बृज मोहन बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 11 और विशेष रूप से पैराग्राफ-22 और 23 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इसलिए, भले ही संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संदीप के मामले में और वेद पाल के मामले में बरकरार रखा हो, सुप्रीम

कोर्ट के फैसले भी विचाराधीन हैं। बृज मोहन के मामले में फैसले के पैराग्राफ 22 और 23 को नीचे पढ़ा गया है:—

“22. नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले विस्थापितों के दावे आमंत्रित किए जाएंगे।” यह बाद की योजना दिनांक 19-3-1992 में भी दोहराया गया है जिसमें कहा गया है कि “10 ए. आई. आर. 2011 (पी. बी.) 58 के आवंटन के लिए निर्वासितों के दावे”

इस नीति के तहत भूखंडों को संबंधित हुडा के संपदा अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र को बिक्री के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि आवंटन के लिए भूमि खरीदार आवेदकों को आम जनता से आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने से पहले पहले खरीदने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि ली जाने वाली कीमतें उस दर के बराबर होंगी जो उस समय तय की गई थी जब इस क्षेत्र को पहली बार आवंटन के लिए भेजा गया था। इस मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इस क्षेत्र को बिक्री के लिए रखा गया था, तो 300 वर्ग मीटर या उससे कम के भूखंडों के संबंध में जो दर तय की गई थी, वह 1032 प्रति वर्ग मीटर (863 प्रति वर्ग यार्ड) थी।

23. अपीलकर्ताओं ने 1990 में आवेदन किए थे और 1992 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा एक निश्चित समय के भीतर उनके आवेदनों पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया था। इसलिए अपीलार्थियों को योजना के तहत भूखंड उस प्रारंभिक मूल्य पर आवंटित किए जाने चाहिए जिस पर अधिग्रहण के बाद लेआउटक्षेत्र के भूखंडों को पहली बार बिक्री के लिए पेश किया गया था। केवल इसलिए कि हुडा ने अपीलार्थियों के आवेदनों और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आवंटन में देरी की, और अवमानना याचिका दायर किए जाने के बाद ही आवंटन किया, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी आवंटन की तारीख पर प्रचलित आवंटन मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। योजना की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले भूमि मालिकों को आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यह स्पष्ट है कि केवल प्रारंभिक मूल्य लागू किया जाना चाहिए, बशर्ते कि भूमि मालिकों ने उस समय आवंटन के लिए आवेदन किया हो। इस मामले में ऐसे आवेदन वास्तव में अपीलार्थियों

द्वारा किए गए थे। इसलिए हमारा विचार है कि प्रतिवादी आवंटित भूखंडों के लिए केवल 1032 प्रति वर्ग मीटर (या 863 प्रति वर्ग यार्ड) की दर से शुल्क ले सकते हैं, न कि 1993 में संशोधित दर, अर्थात् 1122 प्रति वर्ग यार्ड से।”

(37) इन टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि संदीप का मामला बृज मोहन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है और इसलिए, जहां तक संदीप के मामले में यह माना गया है कि हुडा विस्थापितों सहित अधिकतम 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर सकता है।

(38) प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा सीधे उठा और संदीप के मामले में निपटा गया। यदि हम इस तर्क को बनाए रखते हैं तो हम प्रभावी रूप से यह मानेंगे कि बृज मोहन के मामले में दिए गए फैसले को देखते हुए संदीप के मामले में और वेद पाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपरिवर्तनीय हैं। आरक्षण का सवाल न तो पहले उठाया गया था और न ही बृज मोहन के मामले में निपटा गया था। हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि बृज मोहन के मामले में टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि विस्थापितों के लिए आरक्षण पर कोई सीमा नहीं हो सकती है। हम ऐसा नहीं कर सकते। आरक्षण के मुद्दे को विशेष रूप से संदीप के मामले में संबोधित किया गया था और हमारे लिए यह कहना खुला नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निहित रूप से प्रति-अंतर्वर्ती है।

(39) किसी भी स्थिति में, संदीप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, वेद पाल के मामले और कृष्णा के मामले को बृज मोहन के मामले में फैसले के साथ मिलाया जा सकता है। इन मामलों में कोई विसंगति नहीं है। संदीप के मामले में इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया कि क्या सभी उपलब्ध भूखंड पहले विस्थापितों को अनिवार्य रूप से आवंटित किए जाने चाहिए या नहीं या क्या विस्थापितों के पक्ष में आरक्षण उपलब्ध भूखंडों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। बृज मोहन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 19.03.1992 नीति की व्याख्या इस प्रभाव से की कि इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले विस्थापितों के दावों को आमंत्रित किया जाएगा। बृज मोहन के मामले में केवल इस मुद्दे पर विचार किया गया कि विस्थापितों के दावों को कब आमंत्रित किया जाना है और यह माना गया कि इस क्षेत्र को बिक्री के लिए पेश करने से पहले उन्हें आमंत्रित

किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी किए जाने के समय विस्थापितों के कोटे के मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया था। जैसा कि हम प्रश्न 3 का उत्तर देते समय विस्तार से समझाएंगे, बृज मोहन के मामले का प्रभाव यह है कि एक क्षेत्र में उनके लिए आरक्षित कोटे के भीतर विस्थापितों को पहले प्लॉट आवंटित किए जाने चाहिए और उसके बाद ही प्लॉट दूसरों को आवंटित किए जा सकते हैं।

(40) इसलिए हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि संदीप के मामले में इस अदालत का फैसला और संदीप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वेद पाल के मामले और कृष्णा के मामले बृज मोहन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर हैं।

(41) इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों को देखते हुए किसी भी स्थिति में प्रतिवादी विस्थापितों के लिए कम से कम 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और उसकी खंड 31 (1) (2) (सी) और (डी) और खंड 38 (2) के प्रावधानों और दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि (पपप) पर भरोसा किया।

(42) यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम के लागू होने की तारीख से विस्थापितों के लिए कम से कम 20 प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए। इसलिए, वर्तमान नीति के तहत केवल 10 प्रतिशत का आरक्षण इन प्रावधानों के विपरीत है।

(43) यह मानते हुए भी कि निवेदन अच्छी तरह से आधारित है, जहां तक हमारे सामने याचिकाकर्ताओं का संबंध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपरोक्त प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से नहीं बल्कि संभावित रूप से काम करते हैं। यह अधिनियम 01.01.2014 पर लागू हुआ और इसलिए ये प्रावधान केवल 01.01.2014 के बाद के अधिग्रहणों पर लागू होंगे। दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्तों द्वारा यह पुष्टि की गई कि हमारे समक्ष कोई भी मामला 01.01.2014 के बाद की अवधि से संबंधित नहीं है। इसलिए, हमारे लिए इस मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। इस मुद्दे को खुला रखा जाता है।

प्रश्न संख्या 2 को पढ़ें

क्या निर्वासित आरक्षण के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण एक वैध तर्कसंगत मानदंड पर आधारित है?

(44) सवाल किसी भी कठिनाई को स्वीकार नहीं करता है। एक बार जब यह माना जाता है कि उत्तरदाता विस्थापित कोटा सहित अधिकतम 50 प्रतिशत भूखंडों तक ही आरक्षण के हकदार हैं, तो आरक्षण की सीमा नीति का विषय है जिसे कम से कम पहली बार में प्रतिवादी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी को इस संबंध में नीति निर्धारित करने का अधिकार है। आरक्षण की सीमा तय करना न्यायालय का काम नहीं है। जब तक आरक्षण एक तर्कसंगत मानदंड पर निर्धारित किया जाता है, तब तक न्यायालय को नीति निर्माता के लिए अपने विचार को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

(45) हुडा के प्रशासक ने विस्थापितों के लिए आरक्षण की सीमा को उचित ठहराते हुए एक शपथ पत्र दायर किया है। शपथ पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया है: विभिन्न आकार के भूखंडों में पहले से ही 27 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक आरक्षण है। अनिवासी भारतीयों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, समाज सेवा, न्यायपालिका खेल, रक्षा और हरियाणा के अधिवास के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए एक निश्चित संख्या में भूखंड प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, आरक्षण की सीमा में संशोधन की आवश्यकता थी। संदीप के मामले में फैसले के बाद, भूखंडों को निर्वासित के कोटे के तहत भी आरक्षित कर दिया गया था। प्रतिस्पर्धी मांगों पर विचार करने के बाद, हुडा ने 8 माला भूखंडों में से 10 प्रतिशत और 8 माला से ऊपर के भूखंडों में से 12 प्रतिशत विस्थापितों के लिए आरक्षित कर दिया है। हुडा द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर विस्तृत विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। हम यह कहने में असमर्थ हैं कि निर्णय एक सूचित निर्णय नहीं था। यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह आरक्षण की सीमा में हस्तक्षेप करे जब तक कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आरक्षण की सीमा वैध मानदंडों पर आधारित नहीं थी।

(46) यह दलील कि आरक्षण की सीमा किसी भी तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं है, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।

(47) फैसला सुनाने के समय, एक और पहलू उठाने की कोशिश की गई। विस्थापित लोग विभिन्न आकार के भूखंडों के हकदार हैं। शिकायत यह है कि प्रतिवादी शायद ही कभी

छोटे आकार के भूखंडों के संबंध में निर्वासित कोटे के तहत आरक्षण करते हैं। निर्वासित कोटे के तहत आरक्षित किए जाने वाले दिए गए आकार के भूखंडों की संख्या नीति का विषय है जिसे प्रतिवादी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विभिन्न कारक हैं जिन्हें प्रतिवादी को इस अभ्यास को करते समय ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, वितरण उचित और तर्कसंगत मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। जब तक वितरण मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तब तक न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

प्रश्न संख्या 3 को पढ़ें

क्या विस्थापितों के लिए आरक्षित भूखंडों की संख्या पहले विस्थापितों को आवंटित की जानी चाहिए?

(48) प्रश्न संख्या 3 पर विचार करते हुए, हमने माना कि संदीप के मामले में इस अदालत की खण्ड पीठ का निर्णय संदीप के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, वेद पाल के मामले और कृष्णा के मामले को देखते हुए हम पर बाध्यकारी है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि प्रतिवादी पहले केवल सभी विस्थापितों को भूखंड आवंटित करने और उसके बाद आम जनता से आवेदन आमंत्रित करने के लिए बाध्य नहीं थे। खण्ड पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विस्थापितों सहित अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण हो सकता है। खण्ड पीठ ने न्यूनतम आरक्षण निर्धारित नहीं किया। अतः यह माना जाता है कि प्रतिवादी केवल एक निश्चित प्रतिशत के लिए भूखंड आरक्षित करने के हकदार थे, जो निर्वासित कोटा सहित 50 प्रतिशत से अधिक नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या किसी क्षेत्र में विस्थापितों के लिए आरक्षित भूखंडों को दूसरों को भूखंडों के आवंटन से पहले आवंटित किया जाना चाहिए। यह बदले में सवाल उठाता है कि क्या विस्थापितों के लिए आरक्षित भूखंडों का प्रतिशत इस क्षेत्र में उपलब्ध भूखंडों की कुल संख्या के बराबर है या हर बार बहने वाले भूखंडों की कुल संख्या के बराबर है।

(49) हमारे विचार में, प्रतिशत इस क्षेत्र में उपलब्ध भूखंडों की कुल संख्या के संबंध में होना चाहिए और इन भूखंडों को पहले विस्थापितों को आवंटित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि किसी दिए गए क्षेत्र में, उस तारीख को शेष भूखंड विस्थापितों के लिए आरक्षित भूखंडों की कुल संख्या के बराबर या उससे कम हैं, तो उन्हें विस्थापितों को आवंटित किया जाना चाहिए, न कि सामान्य श्रेणी को।

(50) यह दृष्टिकोण संदीप के मामले में फैसले के खिलाफ नहीं है। वास्तव में इसके विपरीत दृष्टिकोण संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले और बृज मोहन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ होगा।

(51) आरक्षण की सीमा प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में है। संदीप के मामले में इस अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है। पैराग्राफ-24 में यह देखा गया है कि सभी पक्षों के वकील द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया था कि विस्थापित एक अलग वर्ग बनाते हैं और एक वर्ग के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में भूखंडों के 50 प्रतिशत से अधिक के आरक्षण के हकदार हैं। इसके अलावा, बृज मोहन के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:—

“22. नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले विस्थापितों के दावे आमंत्रित किए जाएंगे।” यह बाद की योजना दिनांक 19-3-1992 में भी दोहराया गया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि “इस नीति के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए विस्थापितों के दावे संबंधित संपदा अधिकारी, हुडा द्वारा इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले आमंत्रित किए जाएंगे।” इसलिए यह स्पष्ट है कि आवंटन के लिए भूमि खरीदार आवेदकों को आम जनता से आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने से पहले पहले खरीदने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि ली जाने वाली कीमतें उस दर के बराबर होंगी जो उस समय तय की गई थी जब इस क्षेत्र को पहली बार आवंटन के लिए भेजा गया था। इस मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इस क्षेत्र को बिक्री के लिए रखा गया था, तो 300 वर्ग मीटर या उससे कम के भूखंडों के संबंध में जो दर तय की गई थी, वह 1032 प्रति वर्ग मीटर (863 प्रति वर्ग यार्ड) थी।”

(जोर दिया गया)।

(52) हमने पहले कहा था कि ये टिप्पणियां संदीप के मामले में इस अदालत के अनुपात के खिलाफ नहीं हैं कि विस्थापितों के पक्ष में आरक्षण प्रत्येक क्षेत्र में भूखंडों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। बृज मोहन के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि निर्वासितों के पक्ष में अनुमेय आरक्षण की सीमा तक, इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले निर्वासितों के दावों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके विपरीत एक दृष्टिकोण बृज मोहन के मामले में उपरोक्त अनुपात के खिलाफ

होगा। इस प्रकार, अनुमेय आरक्षण की सीमा तक, प्रतिवादी पहले विस्थापितों को भूखंड आवंटित करने के लिए बाध्य हैं।

(53) आइए हम इसे स्पष्ट करते हैं। यदि किसी क्षेत्र में 1000 भूखंड हैं और प्रतिवादी पूरे क्षेत्र के लिए विस्थापितों को 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करते हैं, तो विस्थापित 100 भूखंडों के हकदार होंगे। प्रतिवादी एक बार में सभी 1000 भूखंडों को नहीं उड़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे पहली बार में 100 भूखंड चलाते हैं, तो उन्हें पहले विस्थापित कोटे के लिए आवंटित किया जाना चाहिए, न कि सामान्य श्रेणी के लिए। यह दृष्टिकोण संदीप के मामले में लिए गए दृष्टिकोण से मेल खाता है जैसा कि सुप्रीम द्वारा पुष्टि की गई है और बृज मोहन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण।

(54) हालाँकि यह हमारे निर्णय का आधार नहीं है, हम यह देखने में मदद नहीं कर सकते कि यह दृष्टिकोण हुडा को एक क्षेत्र के विकास को तेजी से पूरा करने और निर्वासित कोटा को भी तेजी से आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(55) इसलिए, प्रश्न-3 का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है कि प्रतिवादी प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 50 प्रतिशत भूखंडों के अधीन आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के हकदार हैं। आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत किसी क्षेत्र में भूखंडों की कुल संख्या है न कि किसी क्षेत्र में हर बार बहने वाले भूखंडों की संख्या। आम जनता को भूखंड आवंटित करने से पहले किसी क्षेत्र में भूखंड विस्थापितों को विस्थापितों के लिए आरक्षण की सीमा तक आवंटित किए जाने चाहिए। अतः यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में शेष भूखंड भी आरक्षण की सीमा तक विस्थापितों को पहले आवंटित किए जाने चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कोई आवंटित भूखंड नहीं हैं, तो उन्हें पहले विस्थापितों को उनके पक्ष में आरक्षण की सीमा तक आवंटित किया जाएगा और उसके बाद ही आम जनता को आवंटित किया जाएगा। पहले से किए गए आवंटन को बाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करेगा जो हमारे सामने नहीं हैं और जिनके पास अपनी स्थिर स्थिति को अस्थिर करने के खिलाफ कई बचाव होंगे।

प्रश्न संख्या 4 को पढ़ें

क्या अधिकारी निर्वासित को निर्वासित कोटे के तहत भूखंड की पेशकश करने के लिए बाध्य हैं या निर्वासित पहले इसके लिए आवेदन करने के लिए बाध्य है?

(56) यह उचित रूप से सहमत है कि यह मुद्दा धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 12 मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था:—

"4. दिनांकित 12.3.1993 के नीतिगत निर्देशों में आगे यह परिकल्पना की गई है कि क्षेत्र के फ्लोटेशन से बहुत पहले भूखंडों के आवंटन के लिए विस्थापितों के दावे को प्रेसधसमाचार पत्र द्वारा से आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। यहां तक कि निष्कासित लोगों के पिछले दावों की भी एक समिति द्वारा उस नीति के संदर्भ में जांच की जानी आवश्यक है जो प्रासंगिक समय पर लागू थी और चार महीने की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद, आवंटन के तरीके का भी वर्णन किया गया है जिसे सामान्य श्रेणी के अन्य आवंटन से बहुत पहले किया जाना आवश्यक है, जिन पर ड्राआ में विचार किया जाना है।

विकास प्राधिकरण और एक और (एस. जे. वजीफदार, सी. जे.)

खंड (vi) जो आवंटन के तरीके से संबंधित है, निम्नानुसार है:

"(vi) आवंटन का तरीका

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावों को अंततः स्वीकार किए जाने के बाद, आवेदक के दावों को एक लाइव रजिस्टर में रखा जाएगा और आवेदकों को भूखंड की लागत के 10 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे दावेदारों को भूखंडों का आवंटन आम तौर पर उन अन्य आवेदकों से पहले या कम से कम उनके साथ किया जाएगा जिन्हें योजना के फ्लोटेशन के बाद लॉट के ड्रॉ में सफल घोषित किया गया है। ऐसा करने से, विस्थापितों के दावों की जांच स्वीकार किए जाने और सामान्य ड्रॉ के लिए अवशिष्ट भूखंडों को निर्धारित किए जाने के बाद सामान्य ड्रॉ में दिए जाने वाले भूखंडों की संख्या की पहचान की जाएगी। वे आवंटी जो निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी के साथ अपने दावों को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें उस क्षेत्र के संबंध में सामान्य ड्रॉ समाप्त होने के बाद अपने दावों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा।" (जोर दिया गया)

((57) हालांकि, निर्वासितों के दावों को प्रेसधसमाचार पत्रों द्वारा से आमंत्रित किया जाना आवश्यक है न कि व्यक्तिगत रूप से निर्वासितों को व्यक्तिगत नोटिस द्वारा। इसके अलावा, इस तरह के विकास के प्रकाशितधजारी होने पर निर्वासित व्यक्ति को निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन करना होता है। प्रतिवादी का कर्तव्यध्दायित्व केवल तभी होगा जब निर्वासित द्वारा आवेदन किया जाता है। हो सकता है कि निर्वासित व्यक्ति को भूखंड प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी न हो। उस स्थिति में उसे एक प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 5 को पढ़ें

यदि अधिकारी निर्वासित को निर्वासित कोटे के तहत भूखंड की पेशकश करने के लिए बाध्य हैं, तो क्या वे अपने पूर्णतः विवेकाधीन पर यह तय करने के हकदार हैं कि निर्वासितों को प्रस्ताव कब दिया जाना है? यदि नहीं, तो अधिकारी कब प्रस्ताव देने के लिए बाध्य हैं?

(58) सिद्धांतों को निर्धारित करना अपेक्षाकृत आसान है, इसे लागू करना मुश्किल होगा। असंबद्ध लेकिन उपयोगी वाक्यांश का उपयोग करना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(59) निर्वासित कोटा के उद्देश्य और आवश्यकता पर विचार किया गया है पिछले वर्षों में कई निर्णयों के साथ। निर्वासित नीति का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि अधिकारी उचित समय के भीतर निर्वासित कोटे के तहत निर्वासित भूखंडों की पेशकश नहीं करते। हम समझते हैं कि क्षेत्रों का विकास भारी जटिलता का विषय है जिसमें कई कारकों की परस्पर क्रिया शामिल है। उदाहरण के लिए अधिकारियों को वित्तीय विचारों और भूमि के लिए बाजार की मांग और आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। प्रतिवादी को अपनी प्रतिस्पर्धी मांगों को भी प्राथमिकता देनी होगी। यदि दुर्भावना स्थापित हो जाती है, तो प्रतिवादी को एक क्षेत्र विकसित करने और निर्वासित कोटा आवंटित करने के लिए मजबूर करने के लिए एक रिट निहित हो सकती है। इस संबंध में एक सीधा जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है।

प्रश्न सं (6) को पढ़ें

निर्वासित कब निर्वासित श्रेणी के तहत भूखंड के आवंटन के लिए विचार किए जाने का हकदार होता है?

(60) निर्वासित कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए जाने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 4 के तहत नोटिस जारी किया जाता है। आवंटन के नियम और शर्तें और लागू नीति अलग-अलग मामले हैं। हालाँकि, यह प्रदान किया जाता है कि मामला अंततः संपत्ति के अधिग्रहण में परिणाम देता है और अंततः अधिग्रहित संपत्ति की सीमा के अधीन होगा। यदि संपत्ति का अंत में किसी भी कारण से अधिग्रहण नहीं किया जाता है जैसे कि खंड 6 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है या खंड 48 के तहत जारी किया गया है या अधिग्रहण को बरकरार रखने के लिए चुनौती दी गई है, तो निर्वासित कोटे के तहत पात्रता उत्पन्न नहीं होगी। किसी व्यक्ति को संभवतः अपनी संपत्ति को बनाए रखने और निर्वासित कोटे के तहत आवंटन का लाभ उठाने का लाभ नहीं मिल सकता है। हकदारी और हकदारी की सीमा भी अंत में अर्जित संपत्ति की सीमा पर निर्भर करेगी। श्री पुंछी, 2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 22252 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक विस्थापित व्यक्ति विस्थापित कोटे के तहत एक भूखंड के आवंटन के लिए विचार करने का हकदार है जब एक क्षेत्र, या आसपास के या अगले आवासीय क्षेत्र को पहली बार आवंटन के लिए भेजा जाता है। (हम बाद में आसपास के या अगले क्षेत्र की प्रासंगिकता का उल्लेख करेंगे। सुविधा के लिए हम संबंधित समग्र अभिव्यक्ति क्षेत्र का उपयोग करेंगे)। प्रस्तुतिकरण का समर्थन समय-समय पर जारी की गई नीतियों और सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा किया जाता है, जिनका हम अब उल्लेख करेंगे।

45.(ए) दिनांक 10.09.1987 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों में सभी अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए, मुख्य प्रशासक, हुडा ने सभी प्रशासकों, संपदा अधिकारियों, राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा प्रशासन को दिनांक 09.05.1990 के निर्देशनिर्देश जारी किए। हुडा के सहायक संपदा अधिकारी। छह बिंदुओं पर ध्यान देने के बाद पत्र का समापन इस प्रकार होता है:—

“विषय: हुडा द्वारा स्थापित विभिन्न शहरी संपदाओं में विस्थापितों को आवासीय भूखंडों का वाणिज्यिक स्थलों का आवंटन।

1 से 6. XXXXX

“निर्वासितों को वाणिज्यिक स्थलों के आवंटन के संबंध में मामले की फिर से जांच की जा रही है और निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा। इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले विस्थापितों के दावे आमंत्रित किए जाएंगे। (जोर दिया गया)

इसलिए, एक बार जब कोई निर्वासित निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन का हकदार पाया जाता है, तो वह आवंटन के लिए विचार करने के लिए उत्तरदायी होता है जब संबंधित क्षेत्र को पहली बार आवंटन के लिए भेजा जाता है।

(बी) मुख्य प्रशासक ने हुडा के अधिकारियों को संबोधित दिनांक 18.03.1992 के आगे के निर्देशों/निर्देशों में कहा कि हुडा ने मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में 20.02.1992 पर आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया था कि विस्थापितों को भूखंड केवल तभी दिए जाएंगे जब विस्थापित लोग उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के मालिक हों। खंड—VI निम्नानुसार है:—

“(VI) इस नीति के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए विस्थापितों के दावों को संबंधित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र को बिक्री के लिए आमंत्रित करने से पहले आमंत्रित किया जाएगा।”

इसका स्पष्ट रूप से यह अर्थ होगा कि विस्थापित कोटे के तहत आवंटन के लिए विचार किए जाने का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब विस्थापित व्यक्ति के भूखंड के आवंटन के लिए विचार किए जाने का हकदार होने के बाद संबंधित क्षेत्र को पहली बार आवंटन के लिए भेजा जाता है।

(सी) हुडा के मुख्य प्रशासक ने अन्य अधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों/निर्देशों द्वारा पहले के निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया। 29.01.1993 पर आयोजित एक बैठक में अनुमोदित प्रक्रिया की एक प्रति अनुलग्नक—ए के रूप में संलग्न की गई थी। अनुलग्नक—ए के खंड (i) और (vi) निम्नानुसार हैं:

“निर्वासितों को आवंटन के लिए जांच आमंत्रित करने, आरोप तय करने और तरीके की प्रक्रिया।

संलग्नक 'ए'

(i) दावा दायर करना।

संबंधित एल. ए. ओ. पुरस्कार की घोषणा के समय योग्य विस्थापितों की एक सूची तैयार करेगा और इसे संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संपदा अधिकारी को भेजेगा। संबंधित संपदा अधिकारी क्षेत्र के विस्तार से बहुत पहले निर्वासित नीति के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए प्रेसध्वसमाचार पत्रों द्वारा से दावे आमंत्रित करेगा। प्रत्येक आवेदक को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र, सहायक दस्तावेजों और विचाराधीन क्षेत्र के भूखंड की लागत के 10 प्रतिशत के बराबर राशि के साथ भेजना होगा और यदि तब तक कीमत निर्धारित नहीं की गई है, तो उसी शहरी संपदा में पिछले क्षेत्र की।

(vi) आवंटन का तरीका

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावों को अंततः स्वीकार किए जाने के बाद आवेदक के दावों को लाइव रजिस्टर में रखा जाएगा और आवेदक को भूखंड की लागत के 10 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे दावों के लिए भूखंडों का आवंटन आम तौर पर अन्य आवेदकों से पहले या कम से कम उनके साथ किया जाएगा, जिन्हें योजना के जारी होने के बाद भूखंडों के ड्रॉ में सफल घोषित किया गया है। ऐसा करने से, विस्थापितों के दावों को सामान्य ड्रॉ के लिए निर्धारित करने के बाद सामान्य ड्रॉ में दिए जाने वाले भूखंडों की संख्या की पहचान की जाएगी। वे आवंटी जो निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी के साथ अपने दावों को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें उस क्षेत्र के संबंध में सामान्य ड्रॉ समाप्त होने के बाद अपने दावों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा।" (जोर दिया गया)।

(61) ये निर्देश और इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया स्थिति को बिल्कुल नहीं बदलती है। वे वास्तव में इसे दोहराते हैं। बाद के निर्देशधनिर्देश दिनांक 29.08.1998 और 27.03.2000 केवल पहले के निर्देशधनिर्देशों के संशोधन में थे जो उपरोक्त स्थिति को नहीं बदलते थे।

(62) यह भी बृज मोहन बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य 13 के अनुरूप है। प्रासंगिक अवलोकन पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं।

(63) नतीजतन, जब क्षेत्र या आसपास के या अगले आवासीय क्षेत्र को पहली बार आवंटन के लिए बुलाया जाता है, तो एक विस्थापित व्यक्ति निर्वासित श्रेणी के तहत एक भूखंड के आवंटन के लिए विचार करने का हकदार होता है। यह स्पष्ट रूप से तब होगा जब बहिष्कृत व्यक्ति के आवंटन के लिए विचार करने का हकदार होने के बाद इस क्षेत्र को पहली बार आवंटन के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकार निर्वासित के आवंटन के लिए विचार किए जाने का हकदार होने के बाद वह निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है। यदि उसे किसी भी कारण से भूखंड नहीं मिलता है तो वह विस्थापित कोटे में भूखंड के आवंटन के लिए बार-बार आवेदन कर सकता है जब तक कि संबंधित क्षेत्रों को अंतिम रूप से भूखंड आवंटित नहीं किया जाता है।

(64) हालाँकि, जिन विस्थापितों की भूमि का अधिग्रहण 10.09.1987 से पहले किया गया था, वे केवल उन क्षेत्रों से भूखंडों के हकदार होंगे जिनमें उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ श्रीमती. सुमन अनेजा बनाम हरियाणा राज्य 14 आयोजित:-

"8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और पाया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा लिया गया चरम रुख रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है। 10 सितंबर, 1987 की नीति के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, वे निर्वासित माने जाने के हकदार थे ताकि उन्हें आरक्षित मूल्य पर भूखंड देकर समायोजित किया जा सके। इस नीति में यह कहा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि भूमि उन व्यक्तियों को आवंटित की जानी चाहिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इस दिशा में कदम उठाना प्रतिवादी का कानूनी दायित्व था। वाणिज्यिक स्थलों/ध्वनों का उल्लेख करते हुए, यह स्पष्ट किया गया कि विस्थापितों के मामलों को आरक्षित मूल्य पर आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है जब और जब इसके लिए नीलामी आयोजित की गई थी और यह आगे निर्धारित किया गया था कि जब इन स्थलों/ध्वनों को नीलामी के लिए रखा जाता है, तो विस्थापित जो उन्हें खरीदना चाहते हैं, वे आवंटन के लिए पहले से प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनके लिए आवश्यक संख्या आरक्षित की जा सके। 9 मई, 1990 के ज्ञापन छव. 1-11-P-90-9721 के माध्यम से 10 सितंबर, 1987 की नीति में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए थे और यह प्रावधान किया गया था कि "इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से

पहले निर्वासितों के दावे आमंत्रित किए जाएंगे। इस मामले को 18 मार्च, 1991 के संचार के माध्यम से दोहराया गया था बरूवे पत्र न. A-11-P-91/5678 जिसमें एक बार फिर दोहराया गया था कि "इस क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी करने से पहले विस्थापितों के दावे को आमंत्रित किया जाएगा"। उपर्युक्त निर्देशों को पढ़ने से, विशेष रूप से ऊपर उद्धृत भागों से, यह स्पष्ट होता है कि निर्वासितों की पात्रता निर्धारित करने के लिए स्वयं प्रतिवादी द्वारा निर्धारित तिथि वह तिथि थी जिस पर सेक्टरों को बिक्री के लिए भेजा गया था, क्योंकि यह वास्तव में उस व्यक्ति के लिए क्रूर होगा जिसकी भूमि 10 सितंबर, 1987 से पहले अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उस तारीख से पहले उचित विकास के बाद इसका उपयोग या निपटान नहीं किया गया था, यह बताने के लिए कि वह निर्वासित के रूप में आवंटन के लिए पात्र नहीं था, हालांकि भूमि अभी भी उपलब्ध थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्वासितों के लिए पुनर्वास योजना का अंतर्निहित उद्देश्य मूल रूप से एक ऐसा है जिसमें एक मर्मस्पर्शी मानवीय समस्या का ध्यान रखने के लिए राज्य का दायित्व शामिल है, और यदि झुकना संभव है, तो हमें उस असहाय व्यक्ति के पक्ष में झुकना चाहिए जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह मानना असंगत होगा कि जनसंख्या के एक खंड को घर और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि विकास के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण करते समय, जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार किया जाना चाहिए या उन्हें बेघर और आश्रय के बिना छोड़ दिया जाना चाहिए। हम इस तथ्य से बेपरवाह नहीं हैं कि दिनांक 10.09.1987 की नीति को पूर्वव्यापी मानते हुए आने वाले वर्षों के लिए भूमि विकास को बाधित और हतोत्साहित करना होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में अब बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापितों के रूप में भूखंड के आवंटन के अधिकार का दावा करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन हमारा विचार है कि यदि किसी विकास योजना के अनुसरण में, कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, तो उस भूमि से विस्थापितों को पुनर्वास का पूर्व अधिकार होना चाहिए और यह कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि वह तारीख है जिस पर क्षेत्र को बिक्री के लिए जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि इस क्षेत्र को 10.09.1987 से पहले बिक्री के लिए रखा गया है और भूखंडों आदि का निपटान नहीं किया गया है, तो इस भूमि से विस्थापित लोग योजना के प्रावधान के अंतर्गत आएंगे। हालांकि एस. बी. किशोर के मामले (ऊपर) पर याचिकाकर्ता के वकील का भरोसा गलत है। उस मामले में,

विस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक नीति थी, लेकिन वादकारी विस्थापित ने भूखंडों के आवंटन के लिए निर्धारित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया।

उच्चतम न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और यह देखते हुए कि मामले को एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए, आवेदन करने में देरी को माफ करने के बाद व्यक्ति के दावे की अनुमति दी। श्री सिबबल द्वारा उद्धृत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।” (जोर दिया गया)।

(9 मई, 1991 की तारीख एक टंकण संबंधी त्रुटि प्रतीत होती है, सही तारीख 9 मई, 1990 है)।

प्रश्न संख्या 7 को पढ़ें

एक निर्वासित का क्या अधिकार है जो आवंटन के अपने अधिकार का प्रयोग तब नहीं करता है जब वह पहले अर्जित होता है या एक निर्वासित का जिसे भूखंड नहीं मिलता है, हालांकि वह इसके लिए आवेदन करता है?

(65) संदीप के मामले में उठाए गए प्रश्न-5 और 6 और इस न्यायालय की खण्ड पीठ के उत्तर इस प्रकार हैं:—

“प्रश्न संख्या 5. क्या एक स्तर पर प्रकाशित विज्ञापन के जवाब में भूखंड के लिए आवेदन करने में विफलता एक विस्थापित व्यक्ति को भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन करने का अधिकार देती है जब तक कि विज्ञापन बाद में जारी किए जाते हैं, जब तक कि भूखंड किसी क्षेत्र में कुल भूखंडों के 50 प्रतिशत की कुल सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं होते हैं?”

49. चूंकि बेदखल व्यक्ति एक अलग और विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं, इसलिए विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने में विफलता एक विस्थापित व्यक्ति को बाद के चरण में आवेदन जमा करने से वंचित नहीं करेगी जब विज्ञापन फिर से भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। एक या अधिक विज्ञापनों के जवाब में आवेदन करने में विफलता निर्वासितों को उनके पुनर्वास के अधिकारों या निर्वासित के रूप में उनकी स्थिति से वंचित नहीं करती है।

भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन विस्थापितों सहित आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध भूखंडों का निर्धारण करने के बाद जारी किए जाने हैं। हुडा से प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे भूखंडों के संबंध में आवेदन आमंत्रित करने की उम्मीद है। इसलिए, एक स्तर पर एक विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने में विफलता एक विस्थापित व्यक्ति को बाद के चरण में एक भूखंड के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य नहीं बनाएगी।

प्रश्न संख्या 6. क्या किसी विस्थापित व्यक्ति को विलंब और विलंब के कारण जारी किए गए सार्वजनिक विज्ञापन के अनुसरण में भूखंड के लिए आवेदन करने में विफलता पर भूखंड का आवंटन न होने के संबंध में शिकायत करने की अनुमति दी जा सकती है?

50. हम श्री जैन द्वारा उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि यदि किसी न किसी स्तर पर जारी किए गए सार्वजनिक विज्ञापन के अनुसरण में भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो कोई देरी हो सकती है। एक निर्वासित, जिसकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, केवल इस कारण से निर्वासित के रूप में अपना दर्जा नहीं खोता है कि उसने पहले चरण में भूखंड के लिए आवेदन नहीं किया है। उसे एक अलग और विशिष्ट श्रेणी के रूप में भूखंड के आवंटन की मांग करने का अधिकार है और जब भी विज्ञापन जारी किए जाते हैं तो निर्वासितों सहित योग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।”

(66) इस प्रकार एक विस्थापित व्यक्ति जिसे भूखंड आवंटित नहीं किया गया है, हालांकि उसने इसके लिए आवेदन किया है, उसी श्रेणी के तहत भविष्य में भूखंड के आवंटन के लिए विचार करने की अपनी पात्रता नहीं खोता है। भले ही कोई निर्वासित विज्ञापन के जवाब में आवेदन नहीं करता है, वह बाद में निर्वासित श्रेणी के तहत भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने से वंचित नहीं है। जिस कीमत पर आवंटन किया जाना है, उससे आगे निपटा जाएगा।

प्रश्न संख्या 8 को पढ़ें

क्या निर्वासित व्यक्ति निर्वासित की भूमि के अधिग्रहण की तारीख, निर्वासित कोटे के तहत आवंटन के लिए पात्रता की तारीख, निर्वासित कोटे के तहत आवंटन की पेशकश की

तारीख या निर्वासित कोटे के तहत आवंटन के लिए विकल्प के प्रयोग की तारीख को आवंटन के लिए निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

(67) श्री पुंछी ने प्रस्तुत किया कि कीमत उस समय प्रचलित कीमत है जब जिस क्षेत्र में विस्थापित की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसे पहली बार आवंटन के लिए जारी किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यदि भूमि आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई थी, तो जिस कीमत पर अगले क्षेत्र को समय और स्थान के सबसे करीब उतारा गया था, वह लागू कीमत होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। यह संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले के विपरीत है।

(68) इस सवाल का जवाब संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले के पैराग्राफ-53 के अंतिम वाक्य में है। पैराग्राफ-53 इस प्रकार है:

“53. दूसरे प्रश्न के संबंध में अर्थात् “सामान्य आवंटन दर” शब्दों का क्या अर्थ है, न्यायालय ने पाया कि वास्तव में भूमि खोने वाले ने भूखंड के आवंटन के लिए वर्ष 1990 में आवेदन किया था। न्यायालय द्वारा वर्ष 1992 में एक निर्देश जारी किया गया था, लेकिन हुडा ने अपीलार्थियों को आवंटन में देरी की।

इसलिए, जिस दर के लिए भूखंडों की शुरुआत में पेशकश की गई थी, उससे शुल्क लेने का आदेश दिया गया था। उक्त प्रश्न का उत्तर उपरोक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसमें एक निर्वासित द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन फिर भी उसे भूखंड आवंटित नहीं किया गया था। उक्त निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि सभी परिस्थितियों में ‘सामान्य आवंटन दर’ वह तिथि होगी जब इस क्षेत्र को पहली बार बिक्री के लिए जारी किया जाएगा। वास्तव में, सामान्य आवंटन दर हुडा द्वारा विज्ञापित दर होगी जिसके अनुसरण में आम जनता और विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अनुसरण में भूखंड आवंटित किए जाते हैं।” (जोर दिया गया)।

(69) पैराग्राफ-53 और विशेष रूप से उसके अंतिम वाक्य में कहा गया है कि सामान्य आवंटन दर हुडा द्वारा विज्ञापित दर होगी जिसके अनुसरण में आम जनता और विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अनुसरण में भूखंड आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार, आवंटन दर निर्वासितों से आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापित दर होगी और

जिसके अनुसरण में भूखंड वास्तव में आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार, यह केवल आम जनता और विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित करते समय हुडा द्वारा विज्ञापित दर नहीं है जो सामान्य आवंटन दर का गठन करती है। इसके अनुसार एक वास्तविक आवंटन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह केवल तभी होता है जब आवंटन के लिए आवेदन के अनुसार, एक भूखंड वास्तव में आवंटित किया जाता है, कि सामान्य आवंटन दर तय की जा सकती है और वह दर उक्त आवेदन को आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निर्धारित दर होगी। अतः दो आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, हुडा द्वारा आम जनता और विस्थापितों से आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन होना चाहिए। दूसरा, निर्वासित व्यक्ति को ऐसे विज्ञापन के अनुसार एक आवेदन के अनुसार एक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। यदि इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो सामान्य आवंटन दर इस तरह के विज्ञापन में निर्धारित दर होगी।

(70) यह संदीप के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ-56 (वी) के अनुरूप है जो इस प्रकार है:

“56. इस प्रकार, वर्तमान अपील के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों का निपटारा ऊपर चर्चा किए गए कानून के प्रश्नों पर निर्णय के अलावा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) से (iii) XXXXX

(अ) कि किसी आवंटित व्यक्ति से ली जाने वाली कीमत सार्वजनिक विज्ञापन में उल्लिखित कीमत होगी, जिसके अनुसरण में भूखंड आवंटित किया गया है, न कि जब इस क्षेत्र को पहली बार बिक्री के लिए उत्तारा गया है।

(71) पैराग्राफ-56 (वी) मामले को संदेह से परे रखता है और पैराग्राफ-53 की व्याख्या और विशेष रूप से उसके अंतिम वाक्य के संबंध में किसी भी विवाद को विराम देता है।

(72) हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अंतिम वाक्य का पहला भाग, अर्थात्, शब्द: “वास्तव में, सामान्य आवंटन दर हुडा द्वारा विज्ञापित दर होगी जिसके अनुसरण में आम जनता और विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह सही है और बृज मोहन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और विशेष रूप से

पैराग्राफ-22 के अनुरूप है जो हमने पहले निर्धारित किया था। हालाँकि, वे तर्क देते हैं कि उस वाक्य के समापन शब्द, अर्थात्, "जिनके अनुसरण में भूखंड आवंटित किए गए हैं, वे बृज मोहन के मामले में फैसले के विपरीत हैं और उस हद तक के फैसले को हमारे द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(73) हम ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

(74) पैरा-53 के शब्द "जिनके अनुसरण में भूखंड आवंटित किए गए हैं" स्पष्ट रूप से इन निष्कर्षों की मान्यता में थे कि निर्वासितों सहित 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता है। यदि सभी निर्वासितों के दावों को पहले पूरा करना होता, तो खण्ड पीठ के लिए इस चेतावनी को जोड़ना आवश्यक नहीं होता। खण्ड पीठ ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विस्थापित कोटे के तहत भूखंडों को बाद के चरण या चरणों में आवंटित किया जा सकता है।

(75) यदि हम याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तर्क को बरकरार रखते कि कीमत वह होनी चाहिए जो उस क्षेत्र के पहले प्रवाह पर निर्धारित की गई थी जिसमें एक निर्वासित निर्वासित कोटे के तहत आवंटन का हकदार होता, तो हम निर्वासितों को इस तरह के पहले प्रवाह की तारीख से वास्तविक राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा अर्बन के संबंध में भुगतान की तारीख तक ऐसी कीमत पर ब्याज का भुगतान करने के लिए मजबूर करके शेरों को संतुलित करते। नहीं तो, यह निर्वासितों पर अप्रत्याशित प्रभाव डालता जो कई साल पहले प्रचलित मूल्य पर भूखंड प्राप्त करने के हकदार होते। हम इस बात की सराहना करते हैं कि उस दृष्टिकोण के लिए भी ऐसे निर्वासितों के लिए और समायोजन की आवश्यकता होगी जो बदले में यह तर्क देने के हकदार होंगे कि वे उस अवधि के दौरान भूखंडों के उपयोग से वंचित थे जिसके लिए वे ब्याज का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं। हालाँकि, इस पहलू पर और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम खुद को संदीप के मामले में फैसले से बंधे हुए पाते हैं।

(76) इस निर्णय के बाद 2013 की सिविल रिट याचिका छव.9969 रघबीर सिंह बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ का दिनांक 26.08.2014 का निर्णय आया। इस न्यायालय की एक अन्य खण्ड पीठ 2001 की सिविल रिट याचिका भाग सिंह और अन्य बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और

अन्य में एक आदेश और निर्णय दिनांक 18.09.2002 द्वारा अभिनिर्धारित किया:—

“याचिकाकर्ताओं के वकील श्री रूपिंदर खोसला द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि याचिकाकर्ता पात्र हैं और सेक्टर 21, भाग-1, पंचकूला या उक्त शहरी संपदा के किसी अन्य क्षेत्र में उस प्रारंभिक दर पर भूखंड आवंटित किए जाने के हकदार हैं, जिस पर भूखंड शुरू में सेक्टर 21 के निर्माण के समय आवंटित किए गए थे। प्रचलित दर पर भूखंड का आवंटन और आईडी1 पर प्रचलित भूखंड की कीमत की 10 प्रतिशत बकाया राशि जमा करने के लिए कहना पूरी तरह से मनमाना और अवैध है। हम याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं। मान लीजिए, पहली बार विस्थापितों को भूखंडों के आवंटन की नीति 10.9.1987 पर तैयार की गई थी। याचिकाकर्ता उक्त नीति के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी भूमि उक्त नीति से पहले अधिग्रहित की गई थी। इसके बाद, 1990 के सी. डब्ल्यू. पी. No-14708 में दिए गए दिनांकित 11.8.1993 निर्णय को देखते हुए, श्रीमती के रूप में सूचित किया गया। सुमन अनेजा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1994 पी. एंड एच. 56, उन विस्थापितों के लिए एक नई नीति, जिनकी भूमि वर्ष 1987 से पहले अधिग्रहित की गई थी, अधिग्रहित भूमि के विस्थापितों को भूखंडों के आवंटन के संबंध में पिछली नीति को संशोधित करते हुए तैयार की गई थी। इस नीति के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि जहां 10.09.1987 से पहले भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिस पर एक आवासीय क्षेत्र बनाया गया था और भूखंड अभी भी उस क्षेत्र में उपलब्ध हैं, वहां विस्थापितों का दावा आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें भूखंडों के आवंटन का पूर्व अधिकार होगा। इस नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह प्रावधान हो कि ऐसे विस्थापितों को प्रारंभिक मूल्य पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। जब सेक्टर तैर रहा था। इस नीति के अनुसार, अधिग्रहित भूमि के विस्थापितों को उन क्षेत्रों से बचे हुए भूखंडों को आवंटित करने का केवल एक पूर्व अधिकार दिया गया है, लेकिन इस नीति के तहत भूखंड के आवंटन के लिए, उन्हें प्रचलित चिह्नित मूल्य का भुगतान करना होगा जो आम जनता को आवंटन के लिए निर्धारित किया गया है। विस्थापितों को केवल प्राथमिकता दी गई है, लेकिन उन्हें प्रचलित दर का भुगतान करना होगा जो इन बचे हुए भूखंडों के आवंटन के लिए निर्धारित किया गया है। उक्त नीति में कोई अवैधता और मनमानेपन नहीं है। बल्कि, यह याचिकाकर्ताओं का अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा यदि उन्हें वर्ष 1987 में प्रचलित दर पर भूखंड आवंटित किए जाते हैं। प्रतिवादी ने इस क्षेत्र के लिए सड़कों, पार्कों और

अन्य सुविधाओं के विकास के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। याचिकाकर्ताओं ने नई नीति तैयार करने के बाद वर्ष 2000 में आवेदन दायर किए। उनके आवेदनों पर विधिवत विचार किया गया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने विज्ञापन दिनांक 21.8.2000 के अनुसार बकाया राशि का 10 प्रतिशत भुगतान नहीं किया था। उनके पास वर्ष 1987 में प्रचलित मूल्य पर भूखंडों के आवंटन का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त मूल्य पर भूखंडों का आवंटन याचिकाकर्ताओं को अनुचित लाभ देने के बराबर होगा। मुख्य प्रशासक, हुडा द्वारा पारित दिनांकित 16.12.2000 के विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।

उपरोक्त को देखते हुए, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और उसी को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।”

(77) इस प्रकार इस संबंध में स्थिति निर्वासितों के लिए समान है जहां 1987 से पहले संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। हम सम्मानजनक सहमति में हैं क्योंकि यह फैसला संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले के अनुरूप नहीं है।

(78) इन परिस्थितियों में, एक निर्वासित, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी भूमि 1987 से पहले अधिग्रहित की गई थी, उस विज्ञापन में निर्धारित मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसके द्वारा निर्वासितों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जिसके अनुसार भूखंड वास्तव में निर्वासित को आवंटित किया जाता है।

(79) इस प्रश्न के एक अन्य पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह एक निर्वासित द्वारा देय मूल्य से संबंधित है जो हालांकि एक विशेष तिथि पर एक भूखंड आवंटित करने का हकदार था और उस तारीख को एक भूखंड आवंटित किया जा सकता था, लेकिन उसे बहुत बाद में भूखंड आवंटित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें बेदखल किए गए व्यक्ति को उस तारीख को भूखंड आवंटित नहीं किया गया था जिसका वह हकदार था और जिसके लिए वह राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा उर्बन का हकदार हो सकता था। उसे वही आवंटित किया गया था लेकिन बाद में उसे भूखंड आवंटित किया गया था। हमने सलाह दी है कि ऐसी स्थिति हो जहां आवंटित व्यक्ति न केवल भूखंड आवंटित करने का हकदार था, बल्कि उसे भूखंड

आवंटित भी किया जा सकता था। जहां किसी भी कारण से भूखंड आवंटित नहीं किया जा सकता था, यह सवाल नहीं उठता।

(80) जहां बेदखल व्यक्ति की गलती है या वह किसी कारण से इसके लिए जिम्मेदार है, उसे संदीप के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ-53 के अंतिम वाक्य में निर्धारित मूल्य का भुगतान करना होगा, अर्थात् आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में प्रचलित मूल्य और जिसके अनुसार विस्थापित व्यक्ति को वास्तव में भूखंड आवंटित किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में बहिष्कृत व्यक्ति को उस कीमत का लाभ मिलने का कोई कारण नहीं है जो पहले प्रचलित थी, कभी-कभी कई साल पहले भी।

(81) जहां निर्वासित और प्रतिवादी दोनों की गलती है या वे उसी के लिए जिम्मेदार हैं या जहां दोनों में से कोई भी उसी के लिए दोषी नहीं है, वही नियम लागू होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में भी बेदखल व्यक्ति को उस मूल्य का लाभ देने की अनुमति देने के लिए कोई वारंट नहीं है जो कई साल पहले प्रचलित था। संदीप के मामले के पैराग्राफ-53 के अंतिम वाक्य में ऐसे मामलों को नियम से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है।

(82) एक और स्थिति है जिससे निपटा जाना चाहिए, अर्थात्, जहां प्रतिवादी पूरी तरह से दोषी हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेदखल व्यक्ति एक विशेष तिथि पर भूखंड का हकदार था और प्रतिवादी के लिए उस तारीख को भूखंड आवंटित करना संभव था, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरी तरह से अपनी चूक के कारण नहीं किया, न कि किसी चूक के कारण। भूखंड के अंतिम आवंटन के परिणामस्वरूप एक लंबी मुकदमेबाजी का अंत भी हो सकता है। जब कोई अदालत ऐसे निर्वासित के पक्ष में आदेश पारित करती है, तो वास्तव में यह माना जाता है कि निर्वासित भूखंड का हकदार था जब उसने आवेदन किया था और उस तारीख को आवंटन का हकदार था और प्रतिवादी उस तारीख को भूखंड का कब्जा सौंपने की स्थिति में थे, लेकिन गलत तरीके से ऐसा नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में यह कहा जाता है कि बेदखल व्यक्ति उस मूल्य के लाभ का हकदार होगा जो उसने आवेदन करते समय प्रचलित था और उस आवेदन के अनुसार प्रतिवादी ने जानबूझकर भूखंड आवंटित नहीं किया, हालांकि वे कर सकते थे।

(83) फिर भी, ऐसे मामले में भी, बेदखल व्यक्ति को उस तारीख से उचित ब्याज का भुगतान करना चाहिए जिस दिन उसे भूखंड का कब्जा दिया जा सकता था, उस तारीख

तक जब तक कि उसे वास्तव में भूखंड का कब्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में बेदखल व्यक्ति को इस अवधि के दौरान अपने धन के उपयोग का लाभ मिला है। हम इस बात की सराहना करते हैं कि इस तरह के निष्कासन को इस अवधि के दौरान प्लॉट के उपयोग से वंचित कर दिया गया होगा। इस आगे के ठीक संयोजन के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी और एक रिट याचिका में आसानी से निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 9 को पढ़ें

किस आधार पर निर्वासित कोटे के तहत आवंटन के लिए मूल्य की मात्रा निर्धारित/घणना की जानी है?

(84) जबकि प्रश्न संख्या 4 उस तारीख से संबंधित है जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाना है, यह प्रश्न उस आधार से संबंधित है जिस पर मूल्य की मात्रा निर्धारित की जानी है। हालाँकि यह निर्णय उपरोक्त तीन रिट याचिकाओं में दिया गया है, हमने कई अन्य संबंधित याचिकाओं में उपस्थित होने वाले वकील को तैयार किए गए मुद्दों पर हमें संबोधित करने की अनुमति दी।

(85) 2017 की एक अन्य सिविल रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र जैन ने हमें इस प्रश्न पर अनिवार्य रूप से संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास (भूमि और भवनों का निपटान) विनियम, 1978 के विनियम 2 (बी) (ई) (एच) और (आई), 3 और 4 पर भरोसा किया। हालाँकि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 की खंड 15 (2) और 15 (3) और विनियम-6 का भी उल्लेख करना आवश्यक है।

(86) श्री जैन ने उपरोक्त विनियमों पर काफी भरोसा करते हुए कहा कि कीमत केवल विनियमों में निर्धारित तरीके से निर्धारित की जा सकती है और अन्यथा नहीं। तदनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बाजार मूल्य तय नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि नियम भूखंडों की बाजार कीमत निर्धारित करने के लिए एक स्व-नियंत्रित तंत्र प्रदान करते हैं और इसलिए, प्रतिवादी भूखंडों की कीमत निर्धारित करने के लिए किसी अन्य तरीके का सहारा नहीं ले सकते हैं। उन्होंने इस हद तक कहा कि सामान्य श्रेणी में भी नियमों में दिए गए तरीके से कीमत तय की जानी चाहिए।

(87) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 की धारा 15 (2) और (3) निम्नानुसार है:—

“15. भूमि का निपटान —

(2) इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह प्राधिकरण को उपहार के रूप में भूमि का निपटान करने में सक्षम बनाती है, लेकिन इस शर्त के अधीन रहते हुए, भूमि के निपटान के लिए इस अधिनियम में दिए गए निर्देश का अर्थ किसी भी तरह से, चाहे वह बिक्री, विनिमय या पट्टे के माध्यम से हो या किसी सुविधा अधिकार या विशेषाधिकार के निर्माण द्वारा या अन्यथा, उसके निपटान के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

(3) इसमें पहले निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार द्वारा इसे बेच, पट्टे पर या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है। नीलामी, आवंटन या अन्यथा, उससे संबंधित किसी भी भूमि या भवन को ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो वह विनियमों द्वारा प्रदान करे।”

(88) हरियाणा शहरी विकास (भूमि और भवनों का निपटान) विनियम, 1978 के प्रासंगिक विनियम इस प्रकार हैं:—

“2. परिभाषाएँ—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो:—

(बी) “अतिरिक्त मूल्य” और “अतिरिक्त प्रीमियम” से ऐसी राशि अभिप्रेत है जो आवंटन द्वारा भूमि या भवन की बिक्री या पट्टे के संबंध में मुख्य प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाए, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 18 के तहत किए गए संदर्भ पर न्यायालय द्वारा उसी क्षेत्र में किसी भूमि या भवन के मुआवजे में वृद्धि के कारण किसी क्षेत्र में उसे बेची गई या पट्टे पर दी गई भूमि या भवन के संबंध में स्थानांतरिती या पट्टेदार द्वारा देय हो सकती है और ऐसे संदर्भ के संबंध में खर्च की गई लागत की राशि।

स्पष्टीकरण—इस विनियम के प्रयोजन के लिए, “न्यायालय” पद का अर्थ है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 3 के खंड

(डी) में परिभाषित न्यायालय और जहां अपील दायर की जाती है, वहां “अपीलीय न्यायालय”।

(ई) “मूल्य” से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान की गई या वादा की गई राशि अभिप्रेत है।

(एफ) “सेक्टर” से भूमि का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो बिक्री मूल्यध्रीमियम के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए इकाई बनाता है।

(i) “अस्थायी मूल्य” या “अस्थायी प्रीमियम” का अर्थ है ऐसा मूल्यध्रीमियम जो प्राधिकरण द्वारा आवंटन द्वारा निपटान के लिए विनियमन 4 के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है जिसमें भूमि की लागत भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे पर आधारित है, लेकिन इसमें कोई वृद्धि शामिल नहीं है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 18 के तहत किए गए संदर्भ पर अदालत द्वारा दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण—इस विनियम के प्रयोजन के लिए, “न्यायालय” पद का अर्थ है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और 52 की खंड 3 के खंड (डी) में परिभाषित न्यायालय।

जहाँ एक अपील दायर की जाती है, “अपीलीय न्यायालय”।

3. निपटान का तरीका—अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश और अधिनियम की खंड 15 की उप-खंड (5) के प्रावधानों के अधीन:—

(क) प्राधिकरण अपनी किसी भी भूमि का विकसित या अविकसित रूप में निपटान कर सकता है।

(ख) प्राधिकरण की किसी भी भूमि या भवन का निपटान प्राधिकरण द्वारा बिक्री या पट्टा या विनिमय के माध्यम से या किसी भी सुविधा अधिकार या विशेषाधिकार के निर्माण या अन्यथा किया जा सकता है।

(ग) प्राधिकरण अपनी भूमि या भवन का निपटान बिक्री या पट्टे के माध्यम से या तो आवंटन द्वारा या नीलामी द्वारा कर सकता है, जो खुली बोली द्वारा या निविदाएं आमंत्रित करके हो सकता है।

आवंटन द्वारा भूमिनिर्माण की बिक्री या पट्टा

4. अस्थायी मूल्यध्रीमियम का निर्धारण –

(1) प्राधिकरण द्वारा भूमि या भवन के निपटान के लिए अस्थायी मूल्यध्रीमियम ऐसा होगा जो प्राधिकरण द्वारा भूमि की लागत, विकास की अनुमानित लागत, भवनों की लागत और अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुल्कों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) “अधिमानी” और “विशेष अधिमानी” भूखंडों के लिए क्रमशः मूल्यध्रीमियम का अतिरिक्त 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत देय होगा।

“ नीलामी द्वारा भूमि/निर्माण की बिक्री/6 पट्टा। नीलामी द्वारा भूमि या भवन की बिक्री या पट्टा:— (1) में

नीलामी द्वारा बिक्री या पट्टे के मामले में, लिया जाने वाला मूल्यध्रीमियम ऐसा आरक्षित मूल्यध्रीमियम होगा जो उप-विनियमन में बताए गए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है।

(1) विनियम 4 या खुली नीलामी में बोली लगाने के परिणामस्वरूप निर्धारित कोई अधिक राशि।

(2) 10 उच्चतम बोली के प्रतिशत का भुगतान सबसे अधिक बोली लगाने वाले द्वारा मौके पर ही नकद या मांग मसौदे के माध्यम से विनियमन राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा शहरी के उप विनियमन (2) में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

5. सफल बोलीदाता को पंजीकृत डाक द्वारा ‘सीसी’ या ‘सी-II’ प्रपत्र में आवंटन पत्र जारी किया जाएगा और स्वीकृत बोली का अन्य 15 प्रतिशत सफल बोलीदाता द्वारा, मुख्य प्रशासक द्वारा बोली की स्वीकृति को सूचित करने वाले आवंटन पत्र की तारीख के तीस दिनों के भीतर, इंगित तरीके से देय होगाय ऐसा न करने पर पहले से जमा की गई 10 प्रतिशत राशि प्राधिकरण को जब्त कर ली जाएगी और सफल बोलीदाता का नीलाम की गई भूमि या भवन पर कोई दावा नहीं होगा।(3) मूल्यध्रीमियम की शेष राशि, प्रभार्य ब्याज की दर और ब्याज की वसूली का भुगतान उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि

विनियमन-5 के उप-विनियमों (6) और (7) में दिया गया है। (4) नीलामी के सामान्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो मुख्य प्रशासक द्वारा समय-समय पर तैयार की जाएं और नीलामी से पहले जनता के सामने घोषित की जाएं।”

(89) श्री जैन की प्रस्तुतियों में त्रुटि 1977 के अधिनियम की खंड 15 और विशेष रूप से उसकी उप खंड (3) की अनदेखी के कारण उत्पन्न होती है। खंड 15 की उप-खंड (3) स्पष्ट रूप से प्रतिवादी को नीलामी सहित प्रतिवादी की भूमि या भवनों को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा हस्तांतरित करने का अधिकार देती है। उप-खंड (3) के समापन शब्द “ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह विनियमों द्वारा प्रदान करे” केवल हस्तांतरण करने के तरीके को संदर्भित करते हैं। विनियमों ने कीमत के निर्धारण से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों में कटौती नहीं की है और वास्तव में नहीं कर सकते हैं। नीलामी में, प्रतिवादी द्वारा कीमत निर्धारित करने का सवाल नहीं उठ सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से बोलियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, खंड 15 स्वयं नीलामी द्वारा उत्तरदाताओं की संपत्तियों के हस्तांतरण पर विचार करती है। यह सुझाव कि नियमों में नीलामी का उल्लेख नहीं है, प्रतिवादी नीलामी द्वारा अपनी संपत्तियों को हस्तांतरित करने के हकदार नहीं हैं, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूर से भी यह सुझाव देता है कि खंड 15 (3) में निहित उत्तरदाताओं के नीलामी द्वारा उनकी संपत्तियों को स्थानांतरित करने के उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करने का इरादा है।

(90) विनियम 2 (बी) को इस तथ्य के कारण पेश किया गया था कि संपत्ति के हस्तांतरण के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 18 के तहत संदर्भ न्यायालय द्वारा दी जाने वाली वृद्धि के कारण कीमत में वृद्धि हो सकती है। यही कारण है कि खंड 2 (i) में अस्थायी मूल्य की परिभाषा दी गई है। कीमत अस्थायी है और अन्य बातों के साथ-साथ 54 के आधार पर उतार-चढ़ाव के अधीन है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 18 के तहत वृद्धि के लिए कार्यवाही का परिणाम। ये विनियम मूल्य निर्धारण के अनुमेय तरीकों के बारे में संपूर्ण नहीं हैं।

(91) विनियम-4 प्रतिवादी को अपनी संपत्तियों की नीलामी के अधिकार से वंचित नहीं करता है और न ही वास्तव में कर सकता है। विनियम-3 केवल निपटान के तरीके से

संबंधित है। यह मूल्य निर्धारण से संबंधित नहीं है। विनियमन संख्या 4 केवल अस्थायी मूल्य को संदर्भित करता है।

(92) संदेह, यदि कोई हो, तो विनियमन संख्या 6 द्वारा शांत किया जाता है जो स्पष्ट रूप से नीलामी द्वारा बिक्री या पट्टे के मामलों को संदर्भित करता है।

(93) इसलिए यह तर्क कि प्रतिवादी नीलामी द्वारा अपनी संपत्तियों का निपटान नहीं कर सकते हैं और नीलामी में प्राप्त मूल्य निर्वासित कोटे के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए मूल्य निर्धारण का आधार नहीं हो सकता है, खारिज कर दिया जाता है। प्रतिवादी को निर्वासितों को आवंटन की प्रकृति और उसके उद्देश्य सहित सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी उचित और न्यायपूर्ण तरीके से कीमत तय करने का अधिकार है।

(94) श्री जैन ने तब कहा कि हरियाणा राज्य की नीतियां हुडा पर बाध्यकारी हैं। उन्होंने 07.12.2007 की एक नीति का उल्लेख किया जिसे HUDA द्वारा 13.08.2008 पर अपनाया गया था और 07.03.2011 पर HUDA द्वारा अपनाई गई 09.11.2010 की नीति का उल्लेख किया। श्री पुंछी ने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा स्वीकृत नीतियां 1977 के अधिनियम की खंड 30 को देखते हुए हुडा पर बाध्यकारी हैं। विद्वान महाधिवक्ता ने उचित रूप से सहमति व्यक्त की कि एक बार हुडा एक नीति को अपना लेता है, तो यह बाध्यकारी है। तदनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि 07.12.2007 और 09.11.2010 दिनांकित पॉलिसियाँ हुडा पर बाध्यकारी थीं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें और कुछ नहीं कहना चाहिए।

प्रश्न संख्या 10 को पढ़ें

प्र. एक निर्वासित व्यक्ति के लिए कौन सी नीति लागू होती है—पात्रता की तारीख, अधिग्रहण की तारीख, प्रस्ताव की तारीख, उस क्षेत्र को शुरू करने की तारीख या विकल्प के प्रयोग की तारीख पर लागू नीति?

(95) श्री पुंछी का यह कहना कि आवेदन जमा करने के समय लागू नीति और जिसके अनुसार आवंटन किया जाता है, अच्छी तरह से स्थापित है। श्री बाली ने इस निवेदन का समर्थन किया। हालाँकि, 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 5927 में याचिकाकर्ताओं की

ओर से पेश हुए श्री नरेंद्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने एक अलग रुख अपनाया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भूमि राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा शहरीकरण की खंड 4 के तहत अधिसूचना जिस तारीख को लागू थी, उस तारीख को नीति लागू थी। अधिग्रहण अधिनियम जारी किया गया था जो लागू होगा।

(96) श्री बाली और श्री पुंछी का समर्पण हमारी सराहना करता है। इस दृष्टिकोण का समर्थन संदीप के मामले में इस अदालत की खण्ड पीठ के फैसले से किया जाता है जहां यह आयोजित किया गया था:—

“ प्रश्न संख्या 7. क्या कोई विस्थापित व्यक्ति अगले आवासीय क्षेत्र में भूखंड के आवंटन का हकदार है, भले ही भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक, संस्थागत या इस तरह के उद्देश्यों के लिए किया गया हो, चाहे अधिग्रहण की तारीख कुछ भी हो?

51. इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ श्रीमती. सुमन अनेजा के मामले (उपरोक्त) में कहा गया है कि अधिग्रहण की तारीख की परवाह किए बिना पुनर्वास की नीतियां लागू होती हैं। आर एंड आर पॉलिसियाँ तब भी लागू होती हैं जब अधिग्रहण आवासीय/वाणिज्यिक मामले के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए होता है, एक निर्वासित का हक दिनांकित नीति के संदर्भ में आवासीय क्षेत्र में एक भूखंड के लिए होता है। इसलिए, भले ही भूमि का अधिग्रहण आवासीय/वाणिज्यिक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया हो, एक विस्थापित व्यक्ति अगले आवासीय क्षेत्र में एक भूखंड के लिए आवेदन करने का हकदार है, भले ही अधिग्रहण दिनांकित परिपत्र 27.03.2000 से पहले हो। भूखंड के लिए बेदखल व्यक्ति का हक उस समय की मौजूदा नीति के अनुसार होगा, जब कोई बेदखल व्यक्ति सार्वजनिक विज्ञापन के जवाब में भूखंड के लिए आवेदन करता है।

53. दूसरे प्रश्न के संबंध में अर्थात् “सामान्य आवंटन दर” शब्दों का क्या अर्थ है, न्यायालय ने पाया कि वास्तव में भूमि खोने वाले ने भूखंड के आवंटन के लिए वर्ष 1990 में आवेदन किया था। न्यायालय द्वारा वर्ष 1992 में एक निर्देश जारी किया गया था, लेकिन हुडा ने अपीलार्थियों को आवंटन में देरी की। इसलिए, जिस दर के लिए भूखंडों की शुरुआत में पेशकश की गई थी, उससे शुल्क लेने का आदेश दिया गया था। उक्त प्रश्न का उत्तर उपरोक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसमें एक निर्वासित द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन फिर भी उसे भूखंड आवंटित नहीं किया गया

था। उक्त निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि सभी परिस्थितियों में 'सामान्य आवंटन दर' वह तिथि होगी जब इस क्षेत्र को पहली बार बिक्री के लिए जारी किया जाएगा। वास्तव में, सामान्य आवंटन दर हुडा द्वारा विज्ञापित दर होगी जिसके अनुसरण में आम जनता और विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अनुसरण में भूखंड आवंटित किए जाते हैं।"

56. इस प्रकार, वर्तमान अपील के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है। ऊपर चर्चा किए गए कानून के प्रश्नों पर निर्णय के अलावा:

(ii) भूखंड के आकार की पात्रता और आवंटन की प्रक्रिया निर्वासितों से आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के अनुसरण में आवंटन की तारीख के अनुसार होगी।"

(97) इन तीन पैराग्राफ को एक साथ पढ़ने पर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पैराग्राफ-51 के अंतिम वाक्य में केवल यह कहा गया है कि भूखंड के बेदखल व्यक्ति का हक उस समय की मौजूदा नीति के अनुसार होगा जब कोई बेदखल व्यक्ति सार्वजनिक विज्ञापन के जवाब में भूखंड के लिए आवेदन करता है। यह वाक्य अपने आप में यह इंगित नहीं करता है कि क्या लागू नीति पहले आवेदन के समय मौजूद है या किसी भूखंड के लिए किसी बाद के आवेदन की है। हालाँकि, इस वाक्य को पैराग्राफ-53 के अंतिम वाक्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें लिखा है: "वास्तव में, सामान्य आवंटन दर हुडा द्वारा विज्ञापित दर होगी जिसके अनुसरण में आम जनता और विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अनुसरण में भूखंड आवंटित किए जाते हैं। यह शायद ही कहा जा सकता है कि दर वह दर होगी जिसके अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अनुसरण में भूखंड आवंटित किए जाते हैं, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए पहले की तारीख की नीति लागू होगी। इस तरह के निष्कर्ष पर आने का कोई कारण नहीं है। यह पूरी प्रणाली के काम करने में विसंगतियां पैदा करेगा। किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ-56 (पप) यह स्पष्ट करता है कि भूखंड के आकार की पात्रता और आवंटन की प्रक्रिया जैसे अन्य मुद्दों के संबंध में भी, लागू नीति विज्ञापन जारी होने की तारीख से लागू होगी, जिसमें विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे और जिसके अनुसार आवंटन किए गए थे।

(98) श्री नरेंद्र सिंह ने अपने इस तर्क के समर्थन में दिनांक 03.06.1991 और 08.04.2015 की नीतियों पर भरोसा किया कि जिस तारीख को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, उस तारीख से लागू होने वाली नीति लागू होगी।

(99) प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। सबसे पहले, यह संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले के विपरीत है, जैसा कि हमने एक से अधिक बार उल्लेख किया है, जो संदीप के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों, वेद पाल के मामले और कृष्णा के मामले को देखते हुए हम पर बाध्यकारी है। हम इस आधार पर एक विपरीत दृष्टिकोण नहीं रख सकते हैं कि संदीप के मामले में 03.06.1991 और 08.04.2015 की उक्त नीतियों का उल्लेख नहीं किया गया था।

(100) किसी भी स्थिति में, इनमें से कोई भी नीति उनके राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार का समर्थन नहीं करती है। नीति दिनांकित 03.06.1991 विस्थापितों के लिए भूखंडों को निर्धारित करने को संदर्भित करता है और विस्थापितों के दावों को क्षेत्र के प्रवाह से पहले और एक समय सीमा के भीतर आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यह श्री नरेंद्र सिंह के तर्क का समर्थन नहीं करता है।

(101) नीति का अंतिम अनुच्छेद दिनांकित 08.04.2015 इस प्रकार है:—

“इसलिए, उपरोक्त निर्णयोन्धराय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक निर्वासित व्यक्ति किसी भी विज्ञापन के जवाब में आवेदन कर सकता है, लेकिन खंड 4 अधिसूचना जारी होने पर लागू नीति के अनुसार उसकी पात्रता को देखते हुए उसके मामले पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया है कि एच. यू. डी. ए. द्वारा मुख्यालय ज्ञापन No-DA/HUDA/44131-132 दिनांक 02.12.2013 के माध्यम से जारी की गई 07.12.2007 से पहले बनाई गई निर्वासित नीति को वापस लेने के संबंध में पत्र वापस ले लिया गया है और जिन भूमि मालिकों की भूमि हरियाणा राज्य द्वारा एच. यू. डी. ए. के क्षेत्रों के विकास के लिए 05.03.2005 से पहले अधिग्रहित की गई है, उनके दावों को भूखंडों की उपलब्धता के अनुसार भूखंडों के आवंटन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन धारा-4 अधिसूचना जारी होने पर लागू नीति के अनुसार उनकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए उनके दावों पर विचार किया जाना चाहिए।

(102) वही केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को निर्धारित की जाने वाली पात्रता के बारे में बात करता है। यह श्री नरेंद्र सिंह के तर्क का समर्थन नहीं करता है।

(103) इन परिस्थितियों में, एक निर्वासित के लिए लागू नीति वह है जो उस समय लागू होती है जब हुडा द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया जाता है और जिसके अनुसरण में भूखंड आवंटित किया जाता है।

प्रश्न No.11 को पढ़ें

क्या दिनांकित 28.08.1998 नीति को ध्यान में रखते हुए, कोई व्यक्ति केवल तभी निर्वासित कोटे का हकदार है जब उसकी भूमि उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है?

(104) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि एक विस्थापित व्यक्ति भी जिसके पक्ष में उस क्षेत्र में भूखंड आवंटित नहीं किया गया है, जिससे उसकी बिना किसी गलती के उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जैसे कि निर्वासित श्रेणी के तहत भूखंडों की कमी के कारण, बाद में उसी क्षेत्र में भूखंड के आवंटन का हकदार होगा जहां से उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्वासित कोटे के तहत भूखंड उसी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्वासित नहीं होगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परवाह किए बिना किसी अन्य क्षेत्र में भूखंड का हकदार होगा जब तक कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग दिनांकित नीति 28.08.1998 में निर्धारित चार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है।

(105) यह प्रस्तुति अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। इसके लिए मुख्य प्रशासक, हुडा द्वारा हुडा के प्रशासक, संपदा अधिकारियों और सहायक संपदा अधिकारियों को दिनांक 28.08.1998 और 08.12.2003 को भेजी गई दो नीतियों के दायरे के निर्धारण की आवश्यकता होती है, जिन्हें जहां तक वे प्रासंगिक हैं, नीचे पढ़ा जा सकता है:—

(1) " पॉलिसी दिनांकित:28.08.1998

विषय:हुडा-संशोधन द्वारा स्थापित विभिन्न शहरी संपदाओं में विस्थापितों को भूखंडों का आवंटन।

यह ज्ञापन No-A-2-02/2078 दिनांकित 18.3.92 और No-A-11P-93/7996-8013 दिनांकित 12.3.93 की निरंतरता में है।

लागू विषय पर वर्तमान नीति में परिकल्पना की गई है कि निर्वासित नीति के तहत आवासीय/वाणिज्यिक भूखंडों का आवंटन उस क्षेत्र के भीतर आवंटन तक सीमित होगा जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। नीति की यह शर्त कार्यान्वयन स्तर पर एक व्यावहारिक समस्या पैदा कर रही है। कभी-कभी, भूमि मालिकों/विस्थापितों से संबंधित अधिग्रहित भूमि को हुडा द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक जैसे मनोरंजन क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, समूह आवास समितियों और औद्योगिक उद्देश्यों आदि के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाता है। फिर विशेष क्षेत्र के भूमि मालिक/विस्थापित पूरी तरह से पॉलिसी के दायरे से बाहर हैं और भूमि मालिक अपनी अधिग्रहित भूमि के बदले आवासीय भूखंड के आवंटन के हकदार नहीं हैं।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने लागू विषय पर नीति के आंशिक संशोधन में अपनी 74वीं बैठक में निर्णय लिया है कि "यदि निर्वासित नीति के तहत भूखंड की पेशकश उसी क्षेत्र में विस्थापितों को नहीं की जा सकती है तो उन्हें उस शहरी संपदा के अगले आवासीय क्षेत्र में आवासीय/वाणिज्यिक भूखंड की पेशकश की जानी चाहिए जिसे हुडा द्वारा जारी और विकसित किया जा सकता है।" इस संशोधन/प्रावधान को संभावित रूप से लागू किया जाएगा। हालांकि, अन्य सभी नियम और शर्तें समान होंगी।

इन निर्देशों को सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।

(2) पॉलिसी दिनांकित: 08.12.2003

विषय:हुडा-स्पष्टीकरण द्वारा स्थापित विभिन्न शहरी संपदा में विस्थापितों को भूखंडों का आवंटन।

यह उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय ज्ञापन No-A&11&P&98/24402&22 दिनांकित 28.08.1998 की निरंतरता में है।

हुडा द्वारा विकसित विभिन्न शहरी संपदाओं में विस्थापितों को भूखंडों के आवंटन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निर्वासित नीति में संशोधन, जैसा कि ऊपर उल्लिखित ज्ञापन/परिपत्र के माध्यम से प्रसारित किया गया है, विशेष रूप से कहता है कि यदि निर्वासित नीति के तहत भूखंड उसी क्षेत्र ("गैर-आवासीय" के रूप में विकसित) में विस्थापितों को नहीं दिया जा सकता है, तो उन्हें शहरी संपदाओं के अगले आवासीय क्षेत्र में केवल एक आवासीय भूखंड की पेशकश की जाएगी, जिसे हुडा द्वारा जारी और विकसित किया जा सकता है। अर्थात्, वह भूमि स्वामी जिसकी भूमि किसी क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की गई है, निर्धारित पात्रता/पात्रता मानदंडों के अनुसार केवल आवासीय भूखंड का हकदार होगा। वाणिज्यिक शब्द जहाँ भी ऊपर निर्दिष्ट दिनांकित 28.08.1998 में लिखा गया है, अनजाने में, वापस लिया गया माना जा सकता है। उपरोक्त स्पष्टीकरण को सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।"

(106) ये निर्देश स्पष्ट रूप से दिनांकित 12.03.1993 नीति के अनुलग्नक-ए के खंड (ii) को ध्यान में रखते हुए थे, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। अनुलग्नक-ए का खंड (ii) निम्नानुसार है:

" दावों को आमंत्रित करने, जांच करने, निर्णय लेने और संलग्नक के लिए प्रक्रिया निर्वासितों को आवंटन का तरीका। (संलग्न ए)

"(ii) निर्वासित नीति के तहत भूखंडों का आवंटन उस क्षेत्र के दावेदारों तक सीमित होना चाहिए जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। धकिया जा रहा है।"

(107) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने सबसे पहले दिनांकित 28.08.1998 नीति में निम्नलिखित कथन पर भरोसा किया: "इस संशोधन/प्रावधान को संभावित रूप से लागू किया जाएगा। इस प्रावधान से कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए किसी भी निर्वासित का दावा समाप्त नहीं होता है, भले ही यह तब नहीं किया जाता है जब निर्वासित उसी के लिए आवेदन कर सकता था। यह संदीप के मामले में फैसले के पैराग्राफ-49 और 50 से स्पष्ट है जो हमने पहले निर्धारित किया था। इस प्रकार बेदखल व्यक्ति अगले आवासीय क्षेत्र में एक भूखंड के आवंटन का हकदार होगा, यदि बेदखल नीति दिनांक 28.08.1998 के तहत भूखंड को उसी क्षेत्र में उसी दिनांकित नीति के

आधार पर विस्थापित व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। यह भी ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि दिनांकित 28.08.1998 नीति स्पष्ट रूप से बताती है कि यह आंशिक 60 में है। यह 12.03.1993 नीति का संशोधन। दूसरे शब्दों में यह कोई नई नीति नहीं है। यदि किसी भूखंड के आवंटन के लिए किसी निर्वासित के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाता है, भले ही वह उसके लिए आवेदन नहीं करता है, जब वह कर सकता है, तो यह होगा कि अधिकार पहले की नीतियों द्वारा प्रासंगिक समय पर नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन जैसा कि नीति दिनांक 20.08.1998 द्वारा संशोधित किया गया है। वास्तव में इनमें से किसी भी नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके विपरीत सुझाव दे। नीतियों से यह नहीं पता चलता है कि हरियाणा राज्य या हुडा का इरादा इस संबंध में और इस तरह से बाहरी लोगों के बीच भेदभाव करना था। वास्तव में इस संबंध में उन निर्वासितों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है जिन्हें बिना किसी गलती के भूखंड नहीं मिलते हैं और अन्य निर्वासित जो अकेले महाधिवक्ता के अनुसार भूखंडों के हकदार हैं क्योंकि उनकी भूमि चार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी।

(108) विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 20.08.1998 की नीति केवल तभी काम करेगी जब निर्वासित व्यक्ति से अधिग्रहित भूमि का उपयोग उसमें उल्लिखित चार उद्देश्यों अर्थात् (i) मनोरंजन क्षेत्र, (ii) संस्थागत क्षेत्र, (iii) समूह आवास समितियों और (vi) औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार इस नीति के तहत एक विस्थापित व्यक्ति उस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में भूखंड के आवंटन का हकदार होगा, जिससे उसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, केवल तभी जब उस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है जिससे बाहरी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। हालाँकि, यदि इस क्षेत्र का उपयोग इन चार उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, तो विस्थापित व्यक्ति केवल उस क्षेत्र में भूखंड के आवंटन का हकदार होगा जिससे उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, न कि किसी अन्य क्षेत्र में।

(109) जैसा कि श्री बाली, 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 2747 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सही प्रस्तुत किया, यह निर्माण दिनांकित 20.08.1998 नीति की सादे भाषा के खिलाफ है। ये चार उद्देश्य, अर्थात्, मनोरंजन क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, समूह आवास समितियाँ और औद्योगिक उद्देश्य, आवासीय उद्देश्यों के अलावा अन्य

उपयोगों के केवल उदाहरण हैं। किसी भी क्षेत्र में आवंटन के लिए पात्रता यानी उन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्र भी जिनमें से निर्वासित की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, वहां मौजूद है जहां उस क्षेत्र का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी भी उपयोग के लिए किया जाता है। हक तब भी मौजूद है जब किसी बेदखल व्यक्ति को उसी क्षेत्र में भूखंड की पेशकश नहीं की जा सकती है क्योंकि जिस भूखंड का वह हकदार है वह उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जिससे उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(110) यह कि उपरोक्त चार निर्दिष्ट उपयोग केवल उदाहरणात्मक हैं, नीति में निहित कई कारकों से स्पष्ट है। “जैसे” शब्द के उपयोग से जो चार निर्दिष्ट उद्देश्यों से पहले और उपसर्ग करता है। यह प्रत्यय “आदि” आदि से भी स्पष्ट होता है।” इन चार शब्दों में। एट सेत्रा शब्द का अर्थ है और अन्य समान चीजों को इंगित करता है। यदि अन्य क्षेत्रों में भूखंड के आवंटन के लिए बेदखल व्यक्ति की पात्रता केवल उस स्थिति में प्रतिबंधित थी जब उस क्षेत्र का उपयोग उक्त चार उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, तो “पसंद” शब्द और संक्षेपाक्षर “आदि।” इसका उपयोग नहीं किया गया होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने आगे सही कहा कि यह “कभी-कभी” शब्दों से भी स्पष्ट है।

(111) यदि अधिवक्ताक निवेदन स्वीकार किया जाए तो यह इन शब्दों को निरर्थक बना देगा।

(112) संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले का पैराग्राफ-56 (iv) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन नहीं करता है। पैराग्राफ-56 (iv) इस प्रकार है:-

“56. इस प्रकार, वर्तमान अपील के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों का निपटारा ऊपर चर्चा किए गए कानून के प्रश्नों पर निर्णय के अलावा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) से (iii) XXXXX

(iv) यह कि बेदखल किए गए लोग सार्वजनिक विज्ञापन के अनुसरण में बकाया राशि के साथ भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन करने के हकदार हैं, एक विज्ञापन द्वारा से आम जनता और विस्थापितों से आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई विस्थापित सफल नहीं होता है, तो वह बार-बार आवेदन कर सकता है जब तक कि उस क्षेत्र में विस्थापितों

के लिए भूखंड उपलब्ध न हों, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण आवासीयध्वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया गया था या आसपास के क्षेत्र में, यदि अधिग्रहित भूमि संस्थागत और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए थी। निर्वासितों को भूखंड केवल सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवंटित किए जाएंगे, न कि किसी निर्वासित द्वारा प्रस्तुत किसी आवेदन के आधार पर लिखा गया। (जोर दिया गया)।

(113) विद्वान महाधिवक्ता ने उन शब्दों पर भरोसा किया जो “या” हमारे द्वारा जोर दिए गए “शब्द का अनुसरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। सबसे पहले, पैराग्राफ-56 (iv) को पूरे फैसले के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में त्रुटि एक वाक्य के एक हिस्से को अलग से पढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। खण्ड पीठ ने अपने फैसले में इन नीतियों का उल्लेख किया। खण्ड पीठ ने पैराग्राफ-49 और 50 में निर्वासितों के अधिकारों को आगे निर्धारित किया जो हमने पहले निर्धारित किया था।

खण्ड पीठ ने नीति का इस तरह से सीमित तरीके से अर्थ नहीं निकाला। वास्तव में, खण्ड पीठ इन पहलुओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। यह मानते हुए भी कि ऐसा हुआ है, इससे पैराग्राफ-56 (पअ) के वाक्य के दूसरे भाग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर विद्वान महाधिवक्ता ने भरोसा किया है, जो “एट-सेट्रा” शब्द के संक्षेपाक्षर “आदि” के साथ समाप्त होता है। संक्षेपाक्षर आदि का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि आगे की वस्तुओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार, खण्ड पीठ पैराग्राफ 56 (पअ) में भी किसी निर्वासित व्यक्ति के पास के क्षेत्र में भूखंड आवंटित करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करती है, जहां उसकी भूमि उक्त चार उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी। (114) इन परिस्थितियों में, एक निर्वासित को अगले आवासीय क्षेत्र में एक आवासीय भूखंड की पेशकश करने का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब निर्वासित नीति के तहत उसे उसी क्षेत्र में भूखंड की पेशकश नहीं की जा सकती है, भले ही उसकी भूमि के उपयोग की प्रकृति कुछ भी हो। इसके अलावा, इस नीति का लाभ विस्थापितों को 28.08.1998 के बाद विस्थापित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए सुनिश्चित करेगा, भले ही यह बाद का आवेदन हो। दूसरे शब्दों में, भले ही आवंटन के लिए आवेदन 28.08.1998 से पहले किया गया था और किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया गया था, अगर 28.08.1998 के बाद किया गया हो तो बाद के आवेदन पर दिनांकित 28.08.1998 पॉलिसी का लाभ बढ़ाकर विचार किया जाना चाहिए।

प्रश्न. 12 को पढ़ें

क्या एक विस्थापित व्यक्ति जिसे उसी क्षेत्र में भूखंड आवंटित नहीं किया जा सकता है, वह अगले/आसपास के क्षेत्र में भूखंड के आवंटन का हकदार है? अगले आवासीय क्षेत्र अर्थार्थ एक अर्थार्थ की अवधारणा क्या है? एक निकटवर्ती क्षेत्र?

(115) विद्वान महाधिवक्ता ने निष्पक्ष और उचित रूप से सहमति व्यक्त की कि दिनांकित नीति में "अगला आवासीय क्षेत्र" शब्द केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं जो उस क्षेत्र लगा होना हैं जहां से विस्थापित की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और यदि आस-पास के क्षेत्र में भूखंड किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं हैं, तो विस्थापित व्यक्ति निकटतम क्षेत्र में एक भूखंड का हकदार होगा जहां विस्थापित कोटे के तहत एक भूखंड उपलब्ध है। इसके विपरीत एक दृष्टिकोण अतार्किक होगा और न केवल एक बहिष्कृत कोटा के उद्देश्य को पूरा करेगा बल्कि इसके खिलाफ विद्रोह करेगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी भी वैकल्पिक क्षेत्र में भूखंड विस्थापितों को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण या प्रावधान का कोई तर्कसंगत आधार नहीं होगा। दिनांकित 28.08.1998 नीति की सरल भाषा भी ऐसी सीमा का संकेत नहीं देती है। यह "अगला आवासीय क्षेत्र" शब्दों का उपयोग करता है न कि "केवल आस-पास का क्षेत्र" शब्दों का।

(116) विद्वान महाधिवक्ता ने निश्चित रूप से तर्क दिया था कि बेदखल व्यक्ति अगले आवासीय क्षेत्र में भूखंड के आवंटन का हकदार तभी होगा जब उस क्षेत्र का उपयोग दिनांकित नीति में उल्लिखित चार उद्देश्यों अर्थात् मनोरंजन क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, समूह आवास समितियों और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। हम पहले ही उपबंधों पर विचार कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 11 पर विचार करते हुए इसे खारिज कर चुके हैं।

प्रश्न संख्या 13 पढ़ें

सह-भागीदारों के अधिकार क्या हैं?

(117) हमें सूचित किया जाता है कि ऐसी कई याचिकाएं हैं जो सह-भागीदारों के अधिकारों से संबंधित हैं और हमें उनके संबंध में कुछ मुद्दों से निपटना चाहिए।

(118) पक्षों ने सह-भागीदारों के अधिकारों के लिए प्रासंगिक चार नीतियों का उल्लेख किया। हम सबसे पहले इन नीतियों का उल्लेख करेंगे।

(ए) नीति दिनांक 09.05.1990

एक नीति दिनांकित 09.05.1990 मुख्य प्रशासक, हुडा से हुडा के अधिकारियों को एक संचार में निहित है। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:—

“विषय:हुडा द्वारा स्थापित विभिन्न शहरी संपदाओं में विस्थापितों को आवासीय भूखंडों/ध्वाणिज्यिक स्थलों का आवंटन। साहब,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपको संबोधित करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि इस कार्यालय मेमो No-A&11&87/29034&44 दिनांक 10.09.1987 के माध्यम से जारी निर्देशों की जांच पर, कुछ शर्तों पर अधिग्रहित भूमि के बदले में भूखंड देने के प्राधिकरण के निर्देशों में ये अस्पष्टता प्रतीत होती है। इन अस्पष्टताओं को दूर आदेश के लिए, प्राधिकरण ने 14.08.1987 पर लिए गए निर्णय में निम्नलिखित संशोधन किया है:

1. यदि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले लगातार 5 साल की अवधि के लिए निर्वासितों के स्वामित्व में है और यदि उस शहरी संपदा में भूमि मालिकों के स्वामित्व वाली कुल भूमि का 75 प्रतिशत अधिग्रहण किया जाता है तो विस्थापितों को भूखंड की पेशकश की जा सकती है।

2. निर्वासित जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है:

(क) 500 वर्ग किलोमीटर से कम। यार्ड 40 वर्ग मीटर की पेशकश की जानी चाहिए। यार्ड भूखंड।

ख) 500 वर्ग कि. मी. के बीच। गज और एक एकड़ की पेशकश की जानी चाहिए 250 वर्ग मीटर का भूखंड। यार्ड्स।

ग) 350 वर्गमीटर के भूखंड के लिए एक एकड़ से अधिक भूमि की पेशकश की जानी चाहिए।

यार्ड्स।

3. यदि अधिग्रहित भूमि के लिए कई सह-शेयरधारक हैं तो ऐसे सह-शेयरधारकों को 250 वर्ग किलोमीटर के एक-एक भूखंड की पेशकश करके समायोजित किया जाना चाहिए। इस शर्त के अधीन कि अधिग्रहित भूमि कम से कम एक एकड़ है। यदि सह-हिस्सेदार की अधिग्रहित भूमि एक एकड़ से कम है तो 250 वर्ग किलोमीटर का केवल एक भूखंड। यार्ड को सह-भागीदारों के संयुक्त नाम पर आवंटित किया जा सकता है।" (जोर दिया गया)।

(119) पैराग्राफ 2 (सी) और 3 के बीच विसंगति है। पैराग्राफ-3 के तहत भले ही हिस्सेदारी एक एकड़ से अधिक हो, एक सह-हिस्सेदार केवल 250 वर्ग किलोमीटर के भूखंड का हकदार है। जबकि पैराग्राफ-2 (सी) के तहत एक मालिक जो सह-हिस्सेदार नहीं है, वह 350 वर्ग मीटर के भूखंड का हकदार है। यार्ड्स। इस विसंगति को अगली नीति द्वारा हटा दिया गया था जो 18.03.1992 दिनांकित है और इसी तरह के संचार में निहित है।

(ख) नीति दिनांक 18.03.1992 जहाँ तक प्रासंगिक है, वह इस प्रकार है:-

"विषय:हुडा द्वारा स्थापित विभिन्न शहरी संपदाओं में विस्थापितों को आवासीय भूखंडों/वाणिज्यिक स्थलों का आवंटन। साहब,

मुझे ऊपर बताए गए उपरोक्त विषय पर आपको संबोधित करने और आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि विस्थापितों को भूखंडों के आवंटन के लिए नीति की उन औपचारिकताओं पर हुडा लंबे समय से ध्यान दे रहा है। इस प्रकार, उचित विचार के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि विस्थापितों को भूखंड केवल तभी दिए जाएंगे जब वे निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के मालिक हों:-

I) यदि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले निर्वासितों के स्वामित्व में है और यदि कुल राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार का 75 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो विस्थापितों को भूखंड की पेशकश की जाएगी।

उस क्षेत्र में भूमि मालिकों के स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।II) जिन निर्वासितों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वे हैं:

(क) 500 वर्ग किलोमीटर से कम।यार्ड 50 वर्ग मीटर की पेशकश की जानी चाहिए।यार्ड प्लॉट्स।

ख) 500 वर्ग कि. मी. के बीच। 250 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए गज और एक एकड़ का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए।यार्ड्स।

ग) 1 एकड़ से ऊपर 500 वर्ग किलोमीटर का भूखंड आवंटित किया जा सकता है।यार्ड या जहाँ 500 वर्ग मीटर। यार्ड प्लॉट लेआउट योजना के लिए प्रदान नहीं किए जाते हैं। 250 वर्ग मीटर के दो भूखंड। प्रत्येक को गज दिए जा सकते हैं।उपरोक्त नीति उस स्थिति में भी लागू होगी जब अधिग्रहित की गई भूमि के कई सह-हिस्सेदार हैं।यदि अधिग्रहित भूमि एक एकड़ से अधिक है, तो इस नीति के तहत लाभ देने के उद्देश्य से, निर्धारित करने वाला कारक संयुक्त हिस्सेदारी में प्रत्येक सह-शेयरधारक के हिस्से के अनुसार क्रमशः स्वामित्व वाला क्षेत्र होना चाहिए।यदि सह-हिस्सेदार की अधिग्रहित भूमि एक एकड़ से कम है, तो सह-शेयरों के संयुक्त नाम पर 250 एस. आई. डी. का केवल एक भूखंड आवंटित किया जाएगा। (जोर दिया गया)।

पैराग्राफ-3 दिनांकित 09.05.1990 पॉलिसी में विसंगति का ध्यान रखता है।

(ग) नीति दिनांक 12.03.1993 नीति एक समान संचार में निहित है जो जहां तक प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:-

“विषय:हुडा द्वारा स्थापित विभिन्न शहरी संपदाओं में विस्थापितों को आवासीय भूखंडों/ध्वाणिज्यिक स्थलों का आवंटन। इसके अलावा, प्राधिकरण ने ऐसे दावों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, पिछली नीति में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया है:-

1. XXXXXXX

2. निर्वासित नीति के तहत लाभ हिस्सेदारी के आकार के अनुसार एक भूखंड तक सीमित होगा, चाहे सह-भागीदारों की संख्या कुछ भी हो।”

(घ) नीति दिनांक 07.12.2007 इस संबंध में अंतिम नीति दिनांकित 07.12.2007 है। खंड 3

पॉलिसी के अंत में इस प्रकार लिखा है:—

“(3) यह नीति 5 मार्च, 2005 से लागू होगी और अधिग्रहण के उन सभी मामलों को शामिल करेगी जिनमें 5 मार्च, 2005 को या उसके बाद मुआवजे के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी।”

(120) सह-भागीदारों के अधिकार को याचिकाओं के एक समूह में निपटाया गया था, जिनमें से पहला मामला संतोष कुमारी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2004 की सिविल रिट याचिका छव.6684 का है। इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ (जिसमें हममें से एक **S-J.Vazifdar**] ACJ एक पक्षकार था) ने 04.04.2016 दिनांकित एक आदेश और निर्णय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

“ याचिकाकर्ता, 33 याचिकाओं के इस समूह में, सह-मालिक थे, जिनकी भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, अलग-अलग या उसी अधिग्रहण कार्यवाही के अनुसार, जैसा भी मामला हो। उनकी शिकायत आम है। हालाँकि याचिकाकर्ता निर्वासित होने के नाते पुनर्वास और पुनर्वास योजनाओं के संदर्भ में भूखंडों/स्थलों के आवंटन के हकदार थे, लेकिन उनके दावों को खारिज कर दिया गया, क्योंकि वे एक संयुक्त खाता में सह-मालिक थे और इस प्रकार, अपने-अपने नामों पर स्वतंत्र रूप से आवंटन की मांग करने के हकदार नहीं थे। हाल के दिनों में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसलों के मद्देनजर, यह मुद्दा किसी भी मामले से मुक्त है।

जटिलताय जरनैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य

और अन्य, 2011 AIR (पंजाब) 58य हरियाणा शहरी

विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम संदीप और अन्य, दिनांक 25.04.2012 और भगवान सिंह और अन्य बनाम राज्य

हरियाणा और अन्य, दिनांकित, 26.04.2012, CWP-10941-2010।

जरनैल सिंह और अन्य (ऊपर दिए गए) मामले में, जो एक पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, सह-मालिकों की शिकायत समान थी, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था कि वे सभी व्यक्तिगत रूप से और अपने अधिकार में भूपीठों/स्थलों के आवंटन के हकदार थे। इस प्रकार, सभी सह-मालिकों को एक भूखंड के आवंटन पर प्रतिबंध मनमाना और तर्कहीन था। और मामले पर विचार करने पर, यह निष्कर्ष निकाला गया:

"20. हम पाते हैं कि एक संयुक्त खाता धारक को एक भूखंड के आवंटन का प्रतिबंध अनुचित और मनमाना है क्योंकि प्रत्येक भूमि मालिक अपने व्यक्तिगत अधिकार में पुनर्वास का हकदार है। संत राम नगीना राम के मामले में इस अदालत के फैसले में सह-मालिकों के अधिकारों को चित्रित किया गया है और पांच न्यायाधीशों की पीठ राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार द्वारा दोहराया गया है। राम चंदर के मामलों में निर्णय (ऊपर) एक सह-मालिक जमीन का उतना ही मालिक होता है जितना उसके अन्य सह-मालिक होते हैं। केवल यह तथ्य कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपनी हिस्सेदारी के विभाजन की मांग नहीं की है और ध्या संयुक्त कब्जे का आनंद ले रहे हैं, प्रत्येक सह-मालिक के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करता है। सह-मालिक भूमि अधिग्रहण के माध्यम से अपने अधिकार और अधिकार से वंचित हैं। इसलिए, इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है कि सह-मालिक को अयोग्य क्यों बनाया गया है, सिवाय इसके कि सह-मालिकों की संख्या इतनी बड़ी होगी, जो अधिग्रहण की प्रक्रिया को ही व्यर्थ कर देगी।

21. इस प्रकार, हमारी राय है कि सभी सह-मालिकों को एक भूखंड के आवंटन को प्रतिबंधित करने वाला खंड तर्कहीन, मनमाना है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है और इस प्रकार, टिकाऊ नहीं है। इसलिए, हम मानते हैं कि नीति का खंड 6 (V) दिनांक 16.9.1994 सभी सह-भागीदारों को एक भूखंड के आवंटन को प्रतिबंधित करना अवैध और अमान्य है।"

और, भगवान सिंह और अन्य (ऊपर) में, हरियाणा राज्य से संबंधित मामलों में, इस बार एक बार फिर खण्ड पीठ का ध्यान आकर्षित करने वाला प्रश्न था: क्या कोई सह-स्वामी एक अलग भूखंडस्थल के आवंटन का हकदार था, हालांकि राज्य की नीतियों के संदर्भ में सभी सह-मालिकों को संयुक्त रूप से केवल एक भूखंड आवंटित किया जा सकता था।

जरनैल सिंह और अन्य (ऊपर) मामले में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में, यह निष्कर्ष निकाला गया:

“साझेदारी करने वालों के अधिकारों से संबंधित जरनैल सिंह के मामले (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक साझेदारी करने वाला अपनी भूमि को ध्यान में रखते हुए एक आकार के भूपीठ का हकदार है। एक भूखंड के आवंटन के लिए विस्थापितों के अधिकारों पर इस न्यायालय द्वारा 2011 के एल. पी. ए. No-2096 में “हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम संदीप और अन्य” शीर्षक से चर्चा की गई है और 25.04.212 को फैसला किया गया।

नतीजतन, वर्तमान याचिका के साथ-साथ अन्य संबंधित याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी अपनी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए और संदीप के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून के सिद्धांतों के अनुसार भूखंड के आवंटन के लिए प्रत्येक भागीदार के दावे पर विचार करें।”

स्वीकार करते हुए, उपरोक्त तीनों मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, तब से अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि, जरनैल सिंह और अन्य (उपरोक्त) मामलों में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर आगे कोई हमला नहीं किया गया था, और अन्य दो मामलों में, हुडा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

जरनैल सिंह के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून के अनुपात से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, वह यह है कि एक सह-मालिक उतना ही अच्छा भूमि मालिक होता है जितना कि एक व्यक्ति जो अपनी हिस्सेदारी का एकमात्र मालिक होता है। एक सह-मालिक एक संयुक्त खाता में अपने हिस्से के अनुपात में एक भूमि पर आत्यन्तिक हक या स्वामित्व रखता है। इसलिए, कानून में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिग्रहित की गई भूमि संयुक्त स्वामित्व का हिस्सा थी या नहीं। सिर्फ इसलिए कि जो भूमि अधिग्रहित की गई थी वह संयुक्त या गैर-विभाजित थी, इससे सह-मालिक का अधिकार थोड़ा भी कम नहीं होगा।

बल्कि, जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि किसी भी स्थिति में, एक जमींदार अपनी जमीन खो देता है और उसे निर्वासित कहा जाता है। और ठीक यही कारण है कि

उसे न केवल अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में मुआवजा दिया जाता है, बल्कि वह पुनर्वास उपाय के रूप में सरकार की नीतियों/धियोजनाओं के संदर्भ में एक भूखंड/स्थल के आवंटन का भी हकदार है। एक सह-मालिक के पास हमेशा संयुक्त हिस्सेदारी के विभाजन की मांग करने का विकल्प होता है, क्योंकि एक संयुक्त खाता सह-मालिकों की पारस्परिक सुविधा और उपयुक्तता के लिए होता है। इसलिए, यहां तक कि एक सह-मालिक भी एक संयुक्त खाते में अपने हिस्से के अनुपात में व्यक्तिगत रूप से और स्वतंत्र रूप से एक स्थल/भूखंड के आवंटन की मांग करने का हकदार होगा, बशर्ते वह संबंधित समय पर चल रही नीति/धियोजना में निर्धारित पात्रता शर्तों/ध्यानदंडों को पूरा करता हो।"(जोर दिया गया)।

(121) इसलिए सह-मालिकों के अधिकार अब जनरल सिंह के मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ के फैसले से स्थापित हो गए हैं। फैसला हम पर बाध्यकारी है। हालाँकि, सवाल यह है कि इन अधिकारों को कैसे लागू किया जा सकता है।

(122) हमारे विचार में, एक बार जब कोई व्यक्ति सह-हिस्सेदार के रूप में निर्वासित कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए जाने के अपने अधिकार को स्थापित कर लेता है, तो उसके आवेदन पर उसी तरह से निर्णय लिया जाना चाहिए जिस तरह से किसी अन्य राजीव मांचंदा और अन्य बनाम हरियाणा अर्बन का आवेदन किया जाता है। ऑस्टी माना जाता है। किसी भी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली सभी नीतियां और सिद्धांत सह-भागीदारों पर भी लागू होंगे। उदाहरण के लिए, एक सह-हिस्सेदार अगले/आसपास के भूखंड में एक वैकल्पिक भूखंड के लाभ का भी हकदार होगा यदि उसे उस क्षेत्र में एक भूखंड आवंटित नहीं किया जाता है जिससे उसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। सह-शेयरधारकों के अधिकारों का निर्धारण उनके व्यक्तिगत हिस्से के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक सह-मालिक अपनी स्वतंत्र हिस्सेदारी का 75 प्रतिशत नहीं खो सकता है। उस स्थिति में वह निर्वासित कोटे के तहत भूखंड आवंटित किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(123) कुछ याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उनकी याचिकाओं के गुण-दोष के आधार पर हमें संबोधित करने की मांग की। उदाहरण के लिए, श्री बाली ने प्रस्तुत किया कि तथ्यों पर उनका मामला संतोष कुमारी के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के लिए एक उच्च आधार पर खड़ा है और इसमें पक्षकारों के बीच एक निर्णय होने के नाते याचिकाकर्ता इसे कुछ और लागू करने के हकदार होंगे।

(124) हम योग्यता के आधार पर प्रत्येक याचिका को अस्वीकार करने का इरादा नहीं रखते हैं। पूर्ण पीठ के गठन का उद्देश्य यह नहीं था। प्रत्येक याचिका अन्य बातों के साथ साथ इस निर्णय के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार अन्य बातों के साथ साथ निर्णय लिया जाएगा।

(125) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के अनुसार संदर्भ का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

प्रश्न No-14 को पढ़े क्या 11.08.2016 या उसके किसी हिस्से की नीति अवैध है?

(126) विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि संदीप के मामले में इस अदालत के फैसले को लागू करने के लिए दिनांकित 11.08.2016 नीति तैयार की गई थी। यह नीति हुडा के मुख्य प्रशासक द्वारा हुडा के अधिकारियों को संबोधित एक पत्र अन्य बातों के साथ साथ निहित है। यह अन्य बातों के साथ यह कहते हुए शुरू होता है कि इस अन्य बातों के साथ साथ निहित निर्देश संदीप के मामले अन्य बातों के साथ साथ इस अदालत के फैसले को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए जा रहे थे, यह उस मामले बनाम एसएलपी की बर्खास्तगी और 2010 की सिविल रिट याचिका संख्या 10941 अन्य बातों के साथ साथ इस अदालत के फैसले को संदर्भित करता है। हरियाणा राज्य और अन्य इस फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसलिए, उपरोक्त निर्देश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित आदेश और विदेशी दावों का निपटान सुनिश्चित आदेश के लिए, पात्रता के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्देश जारी आदेश का निर्णय लिया गया है:

(127) हम इस नीति के हर पहलू की वैधता पर विचार नहीं करना चाहते हैं। हम नीति के केवल उन पहलुओं का उल्लेख करेंगे जो इस निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं।

(128) नीति का खंड-1 निम्नानुसार है:- "1. निर्वासित व्यक्ति को ऐसे आवंटन के लिए दावे आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के अनुसरण में बकाया राशि के साथ निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए एक आवेदन जमा करना होगा।"

(129) यह खंड प्रक्रियात्मक है। यह किसी निर्वासित को विभिन्न कारणों से भूखंड आवंटित नहीं किए जाने के परिणाम का संकेत नहीं देता है, जैसे कि हमने जिनका उल्लेख किया है, जैसे कि जहां निष्कासनकर्ता की गलती है, जहां प्रतिवादी की गलती है, जहां दोनों की

गलती है और जहां दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। खंड निर्वासितों के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार, यह मानते हुए भी कि नए आवेदन किए जाने हैं, यह खंड अपने आप में निर्वासितों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जो हमने इस निर्णय में तय किए हैं।

(130) नीति का खंड 2 निम्नानुसार है:— "2. निर्वासित व्यक्ति उसी क्षेत्र में भूखंड के आवंटन की मांग करने का हकदार होगा जिसके लिए आवासीयध्वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। हालांकि, जहां भूमि का अधिग्रहण केवल किसी गैर-आवासीय उद्देश्य जैसे औद्योगिक, संस्थागत, सामूहिक आवास स्थल, पूरी तरह से वाणिज्यिक क्षेत्र आदि के लिए किया गया है, तो ऐसा निर्वासित व्यक्ति आस-पास के क्षेत्र में भूखंड के आवंटन की मांग करने का हकदार होगा। इस उद्देश्य के लिए संलग्न क्षेत्र का अर्थ होगा उक्त क्षेत्र संस्पर्शी सीमाओं वाला क्षेत्र। जहां उस क्षेत्र से सटे एक से अधिक क्षेत्र हैं जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस मामले में, एक निर्वासित अपनी पसंद के किसी भी एक क्षेत्र में आवेदन करने का हकदार होगा। हालांकि, जहाँ ऐसा कोई आवेदन एक से अधिक क्षेत्रों में किया जाता है, वहाँ हुडा प्राधिकरण के विवेक पर ऐसे किसी भी क्षेत्र में केवल उसके एक आवेदन पर विचार किया जाएगा और अन्य आवेदनों के संबंध में बकाया राशि स्वचालित रूप से जब्त हो जाएगी और भविष्य में इस तरह के जब्त के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।"

(ए) यह खंड दिनांकित 28.08.1998 पॉलिसी के संबंधित प्रावधानों के समान है। उस नीति के संबंध में हमने जो कहा वह इस खंड पर भी समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, यदि निर्वासित कोटे के तहत कोई भूखंड उसी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जिससे निर्वासित की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है, तो वह किसी अन्य क्षेत्र से निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन का हकदार होगा। यह हकदारी खंड में निर्दिष्ट मामलों, अर्थात् औद्योगिक, संस्थागत, सामूहिक आवास स्थल, पूरी तरह से वाणिज्यिक क्षेत्र आदि तक सीमित नहीं है। यह "किसी भी गैर-आवासीय उद्देश्य जैसे" शब्दों से स्पष्ट है जो "औद्योगिक, संस्थागत, समूह आवास स्थल, पूरी तरह से वाणिज्यिक क्षेत्र आदि" शब्दों से पहले आते हैं। "कोई भी" और "जैसे" शब्द इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। वाक्य के अंत में "आदि" शब्द दृष्टिकोण को और मजबूत करता है। "एट सेटेरा" शब्द ऐसी ही अन्य

चीजों को इंगित करता है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की आशंका इस प्रकार समाप्त हो गई है।

(बी) याचिकाकर्ताओं ने सजा के बारे में भी स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की: "इस उद्देश्य के लिए संलग्न क्षेत्र का अर्थ होगा उक्त क्षेत्र संस्पर्शी सीमाओं वाला क्षेत्र। उन्हें आशंका है कि प्रतिवादी इस खंड का यह अर्थ लगा सकते हैं कि निर्वासितों के अधिकार केवल उन क्षेत्रों तक सीमित हैं जो उस क्षेत्र संस्पर्शी सीमाओं के साथ हैं जहां से निर्वासित की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। इस आशंका को विद्वान अधिवक्ता के इस कथन से दूर किया जाता है कि यदि संस्पर्शी क्षेत्र में विस्थापित कोटे के तहत कोई भूखंड उपलब्ध नहीं है, तो विस्थापित व्यक्ति अगले उपलब्ध क्षेत्र में भूखंड के आवंटन की मांग कर सकता है। हम इस बात से सहमत हैं कि खंड का उद्देश्य यही है। यह वाक्य उदाहरणात्मक है और इसे केवल यह इंगित करने के लिए जोड़ा गया था कि यदि उस क्षेत्र में निर्वासित कोटे से कोई भूखंड उपलब्ध नहीं है जिससे निर्वासित की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो इसे दूसरे क्षेत्र से आवंटित किया जा सकता है। इरादा यह नहीं था कि इस अधिकार को केवल तुरंत संस्पर्शी वाले क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए, भले ही उस क्षेत्र में कोई भूखंड उपलब्ध न हो। यदि यही इरादा होता, तो खंड को पूरी तरह से अलग तरीके से लिखा जाता।

(131) नीति का खंड 3 निम्नानुसार है:— "3. निर्वासित के आवेदन पर ज्ञापन No-UB&A&6&2016/2213 दिनांक 04.12.2015 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार निर्वासित कोटे के तहत निर्धारित भूखंडों के खिलाफ विचार किया जाएगा। भूखंडों की संख्या विज्ञापित कुल उपलब्ध भूखंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।"

(132) श्री बाली, श्री पुंची, श्री नरेंद्र सिंह, श्री संदीप शर्मा और श्री संजय वशिष्ठ ने ठीक ही कहा कि यह खंड बृज मोहन के मामले के विपरीत नहीं है। दिनांकित ज्ञापन (आई. डी. 1) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया है जिसमें विस्थापित, अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति, 72 शामिल हैं। पिछड़े वर्ग, युद्ध विधवाएँ, विकलांग बच्चे, विधवाएँ, स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, नेत्रहीन, अर्धसैनिक बल, रक्षा कर्मी आदि। इस खंड के अंतिम वाक्य में केवल यह प्रावधान है कि विस्थापितों के लिए भूखंडों की संख्या विज्ञापित कुल उपलब्ध भूखंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो कि केवल

विज्ञापित भूखंडों की संख्या के लिए स्वाभाविक है। यह केवल यह इंगित करता है कि प्रतिवादी एक ही समय में किसी क्षेत्र में कुल उपलब्ध भूखंडों का विज्ञापन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। भूखंडों को समय-समय पर अलग-अलग गुणों में तैराया जा सकता है।

(133) इसके अलावा, खंड 3 में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि विज्ञापन दिए जाने पर भूखंडों को विस्थापित के कोटे में केवल विज्ञापित भूखंडों के 10 प्रतिशत की सीमा तक आवंटित किया जाएगा। अगर यही इरादा होता, तो इसे इतना विशेष रूप से बताया जाता। मामले के इस दृष्टिकोण में, खंड की वैधता का परीक्षण करना आवश्यक नहीं है यदि इसका अर्थ अन्यथा था।

(134) नीति का खंड 4 निम्नानुसार है:— “4. निर्वासित व्यक्ति को इस तरह का आवेदन करने का अधिकार केवल तब तक होगा जब तक कि उपरोक्त शर्त संख्या 2 और 3 के अनुसार क्षेत्र में निर्वासितों के लिए भूखंड उपलब्ध नहीं हो जाते।”

(135) इस खंड का केवल यह अर्थ है कि किसी क्षेत्र के लिए निर्वासित व्यक्ति केवल निर्वासित श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तक ही आवेदन कर सकता है। यह संदीप के मामले और हमने जो माना है, उसके अनुरूप नहीं है।

(136) नीति के खंड 5 और 6 के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

(137) नीति के खंड 7 को चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए हम इसके संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं।

(138) नीति का खंड 8 निम्नानुसार है:— “8. निर्वासित कोटे के तहत भूखंड के आवंटन के लिए प्रत्येक सह-हिस्सेदार की पात्रता उसकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित की जाएगी यानी प्रत्येक सह-हिस्सेदार अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी के आधार पर भूखंड के आवंटन की मांग करने का हकदार होगा।”

(139) यह खंड सह-भागीदारों से संबंधित प्रश्न संख्या 13 के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है, उसके अनुरूप है।

(140) विद्वान अधिवक्ता ने नीति के खंड 7, 9 और 14 पर किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया। इसलिए, हम इसके संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं। इन खंडों की वैधता के

मुद्दे को खुला रखा गया है। हम केवल इस ध्यान दें पर ध्यान दे सकते हैं कि प्रतिवादी पर भी राजीव मंचंद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। खंड 11 के पहले वाक्य की व्याख्या करें। विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी फिर से जवाब देंगे और यदि आवश्यक हो तो इसे स्पष्ट करेंगे।

(141) नीति का खंड 15 निम्नानुसार है:— "15. एक निर्वासित जिसने किसी भी पिछले अवसर पर निर्वासित नीति के तहत भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया है और कहा है कि आवेदन या तो निर्णय के लिए लंबित है या किसी भी आधार पर खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि अस्वीकृति आदेश को किसी भी अदालत या प्राधिकरण या किसी भी प्रकार के मंच के समक्ष आरोपित किया गया था और मामले को नए निर्णय के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया है, भगवान सिंह के मामले और संदीप के मामले में निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे नए विज्ञापन में भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन करने की सलाह दी जा सकती है जो आरक्षण के निर्धारण के बाद जारी किया जाएगा और उनके बकाया धन को जमा करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापस किया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ मुकदमा लंबित है, वहाँ विधि न्यायालय या प्राधिकरण या मंच जहाँ यह लंबित है, को उपरोक्त निर्णय के बारे में सूचित किया जा सकता है और यहाँ निर्दिष्ट शर्तों में मुकदमे का निपटारा करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।"

(142) यह खंड केवल सलाह देने वाला और सिफारिश करने वाला है। यह किसी भी अधिकार का सृजन या कटौती नहीं करता है। इस फैसले के अनुसार निर्वासितों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा।

(143) नीति के खंड 16 और 17 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:—

"16. निर्वासितों के प्राप्त आवेदनों को लॉट के ड्रॉ में रखा जाएगा और केवल उन निर्वासितों की पात्रता निर्धारित की जाएगी जो लॉट के ड्रॉ में सफल हैं। केवल इस तरह के आवेदन को जमा करने या लॉट के ड्रॉ में सफलता से इस तरह के आवंटन के लिए कोई निहित अधिकार पैदा नहीं होगा क्योंकि पात्रता का निर्धारण लॉट के ड्रॉ में निष्कासित व्यक्ति को सफल घोषित करने के बाद ही किया जाएगा।

17. योजना बंद होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदकों की सूची संकलित की जाएगी और विज्ञापित भूखंडों के लिए योजना बंद होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।लॉट के ड्रॉ में सफल होने वाले विस्थापितों की पात्रता एक महीने की आगे की अवधि के भीतर निर्धारित की जाएगी।यदि कोई बाहरी व्यक्ति जिसे लॉट के ड्रॉ में सफल घोषित किया जाता है, वह 74 के अनुसार अयोग्य पाया जाता है पॉलिसी, फिर उसका ड्रॉ रद्द कर दिया जाएगा।ड्रॉ के इस तरह के रद्द होने के कारण जो भूखंड उपलब्ध होगा, उसे फिर से शेष विस्थापितों में से ड्रॉ के लिए रखा जा सकता है जो पहले उसी ड्रॉ में असफल रहे थे।इसके बाद असफल आवेदकों की बकाया राशि वापस की जा सकती है।उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि इसे योजना के बंद होने के 6 महीने की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाता है अन्यथा भुगतान की तारीख तक 6 महीने की समाप्ति के बाद बकाया राशि पर 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।”

(ए) श्री नरेंद्र सिंह ने प्रस्तुत किया कि आवेदक की पात्रता पहले निर्धारित की जानी चाहिए और केवल योग्य आवेदकों को ड्रॉ में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(बी) यह चीजों को करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है।हालांकि, पैराग्राफ-16 में निर्धारित प्रक्रिया के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है।इससे पहले पात्रता निर्धारित करने के बजाय समय की बचत हो सकती है जिसमें लॉट के ड्रॉ से पहले भी मुकदमेबाजी शामिल हो सकती है।खंड 16 कम से कम यह सुनिश्चित करेगा कि जिन आवेदकों की पात्रता पर सवाल नहीं उठाया गया है, वे कम से कम जल्द से जल्द भूखंड प्राप्त कर सकते हैं।(144) हम योग्यता के आधार पर किसी भी याचिका पर विचार करने का इरादा नहीं रखते हैं।उदाहरण के लिए श्री बाली ने इस तथ्य पर दृढ़ता से भरोसा किया कि इस निर्णय के बावजूद, 2017 की सिविल रिट याचिका संख्या 2747 में याचिकाकर्ता अंतर-पक्षीय निर्णयों के लाभ के हकदार हैं जो अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं।हम इन याचिकाओं को इस फैसले के अनुसार उनके निपटारे के लिए खण्ड पीठ के समक्ष रखने का इरादा रखते हैं।

(145) संदर्भ का जवाब तदनुसार दिया जाता है।सभी रिट याचिकाओं को 08.01.2018 पर रोस्टर के अनुसार खण्ड पीठ के समक्ष रखा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के हमारे उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लिया जाएगा।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि

खण्ड पीठ या तो याचिकाओं पर योग्यता के आधार पर निर्णय लेने या अधिकारियों को इस निर्णय के साथ-साथ एक नया निर्णय लेने का निर्देश देने का हकदार होगा।

(146) प्रतिवादी को इस निर्णय के अनुसार विस्थापितों के लिए भूखंड आरक्षित करने के बाद भूखंडों का निपटान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिवादी को न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों का पालन करने के उनके दायित्वों से मुक्त नहीं करता है, यदि कोई हो, तो निर्वासितों के व्यक्तिगत मामलों में, भले ही निर्वासित कोटे के भीतर हो।

P-S-Bajwa

अस्वीकरण— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वायन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

राजीव गुप्ता

Translator, Bhiwani